रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2009/चैत्र 4, 1931
No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2009/CHAITRA 4, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सा.का.नि. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (लेखों का वार्षिक विवरण) नियम, 1966 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (लेखों का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (लेखों का वार्षिक विवरण) नियम, 1966 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की प्रस्तावना में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से", शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में—

(क) उप-नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) आयोग के लेखे, केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए विनिर्दिष्ट लेखों के सामान्य प्रपत्र में, वित्त मंत्रालय, महालेखा परीक्षक के तारीख 23 जुलाई, 2006 के का.ज्ञा. सं. एफ. सं. 10(1)/प्रकीर्ण/2005 टी.ए./450-490 में दिए गए निर्देशों के अनुसार रखे जाएंगे।";

(ख) उप-नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) प्राप्ति एवं भुगतान लेखों, आय और व्यय लेखों तथा आवश्यक अनुसूचियों, लेखों पर टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ तुलन-पत्र को दर्शाने वाले लेखों के वार्षिक विवरण पर आयोग की ओर से वरिष्ठ लेखा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।"

4. उक्त नियमों में, अन्त में उपाबद्ध परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप

[नियम 3 का उप-नियम (4) देखें]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

लेखों का सामान्य प्ररूप

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (लाभ-निरपेक्ष संगठनों और समरूप संस्थानों) के लिए वित्तीय विवरणियों का प्ररूप

उपाबंध-क

तुलन-पत्र

वित्तीय विवरणों का प्ररूप (अलाभ संगठन)

अस्तित्व का नाम .....

..... की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि-रुपये)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि और देयताएं			
संग्रह/पूंजी निधि	1	–	–
आरक्षितियां और अधिशेष	2	–	–
निर्धारित/स्थायी निधियां	3	–	–
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	–	–
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	–	–
आस्थगित उधार दायित्व	6	–	–
वर्तमान दायित्व और उपबंध	7	–	–
कुल		–	–
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	8	–	–
निवेश-निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	–	–
निवेश-अन्य	10	–	–
वर्तमान आस्तियां, उधार अग्रिम इत्यादि			
प्रकीर्ण व्यय (जो बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)	11	–	–
कुल		–	–
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
समाश्रित दायित्व और लेखों सम्बन्धी टिप्पणियां	25		

उपाबंध-ख

आय-व्यय लेखा

वित्तीय विवरणों का प्ररूप (अलाभ संगठन)

अस्तित्व का नाम .....

..... द समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा

(राशि-रुपये)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवा से आय	12	–	–
अनुदान/सहायता	13	–	–
शुल्क/अभिदान	14	–	–
विनिधान से आय (निश्चित/स्थायी निधियों में निवेश से आय जो निधियों में हस्तान्तरित की गई)	15	–	–
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	–	–
अर्जित ब्याज	17	–	–
अन्य आय	18	–	–
तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और चल रहे कार्य	19	–	–
कुल (क)		–	–
व्यय			
स्थापन व्यय	20	–	–
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	–	–
अनुदान, समनुषंगी आदि पर व्यय	22	–	–
ब्याज	23	–	–
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में निबल योग-अनुसूची 8 के अनुसार)			
कुल (ख)		–	–
व्यय के बाद आय में से अतिरेक बकाया (क-ख)			
विशेष आरक्षिति में हस्तान्तरित (प्रत्येक का उल्लेख करें)		–	–
सामान्य आरक्षिति से/को हस्तान्तरित		–	–
संग्रह/पूंजीगत निधि में ले जाया गया अतिरेक/(कम) बकाया		–	–
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
समाश्रित दायित्व और लेखों सम्बन्धी टिप्पणियां	25		

उपाबंध-ग

अनुसूचियां

वित्तीय विवरणों का प्ररूप (अलाभ संगठन)

अस्तित्व का नाम .....

..... पर संलग्न तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि-रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 1-समग्र/पूंजी निधि :		
वर्ष के आरम्भ में बकाया	–	–
जमा : समग्र/पूंजी निधि में अंशदान	–	–
जमा/(घटाए): आय और व्यय लेखे से हस्तान्तरित बकाया शुद्ध आय/(व्यय)	–	–
वर्ष के अन्त में बकाया	–	–

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 2-आरक्षिति और अधिशेष :		
1. पूंजी आरक्षिति :		
पिछले लेखे के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(–) –	(–) –

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :		
पिछले लेखे के अनुसार	–	
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(–) –	(–) –
3. विशेष आरक्षिति :		
पिछले लेखे के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(–) –	(–) –
4. सामान्य आरक्षिति :		
पिछले लेखे के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(–) –	(–) –
कुल	–	–

(राशि–रुपये)

अनुसूची 3–निश्चित/स्थायी निधियां	निधि-वार ब्यौरा				योग	
	WW निधि	XX निधि	YY निधि	ZZ निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) आरम्भिक शेष निधियां	–	–	–	–	–	–
(ख) निधियों में वृद्धि						
i. दान/अनुदान	–	–	–	–	–	–
ii. निधियों के खाते से किए गए निवेशों से आय	–	–	–	–	–	–
iii. अन्य वृद्धियां (प्रकृति, विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–	–	–
कुल (क+ख)	–	–	–	–	–	–
(ग) निधियों के उद्देश्यों के बारे में उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
– स्थिर आस्तियां	–	–	–	–	–	–
– अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–	–	–
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	–	–	–	–	–	–
– किराया	–	–	–	–	–	–
– अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–	–	–
कुल (ग)	–	–	–	–	–	–
वर्ष के अन्त में शुद्ध शेष (क+ख-ग)	–	–	–	–	–	–

टिप्पण

(1) प्रकटीकरण, अनुदानों से सम्बन्धित शर्तों पर आधारित सुसंगत शीर्षों के अधीन किया जाएगा

(2) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और उन्हें अन्य निधियों के साथ नहीं मिलाया जाएगा ।

(राशि-रुपये)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 4-प्रतिभूत उधार और उधार लेना :				
1. केन्द्रीय सरकार		–		–
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		–		–
3. वित्तीय संस्थान				
(क) सावधि उधार	–		–	
(ख) अर्जित और देय ब्याज	–		–	
4. बैंक		–		–
(क) सावधि उधार	–		–	
-अर्जित और देय ब्याज	–		–	
(ख) अन्य उधार (विनिर्दिष्ट करें)	–		–	
- अर्जित और देय ब्याज	–	–	–	–
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण		–		–
6. डिबेन्चर और बान्ड		–		–
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		–		–
कुल		–		–

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम

(राशि-रुपए)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 5- अप्रतिभूत उधार और उधार लेना :				
1. केन्द्रीय सरकार		–		–
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		–		–
3. वित्तीय संस्थाएं		–		–
4. बैंक		–		–
(क) सावधि उधार		–		–
(ख) अन्य उधार (विनिर्दिष्ट करें)		–		–
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण		–		–
6. डिबेन्चर और बान्ड		–		–
7. सावधि जमा		–		–
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		–		–
कुल		–		–

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम

(राशि-रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 6–आस्थगित साख दायित्व		
(क) पूंजीगत उपस्करों और अन्य आस्तियों को आंडमान करके सुरक्षित की गई स्वीकृतियां	–	–
(ख) अन्य	–	–
कुल	–	–

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम

(राशि-रुपए)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 7-चालू दायित्व और उपबंध :				
(क) चालू दायित्व				
1. स्वीकृतियां		–		–
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए	–		–	
(ख) अन्य	–	–	–	–
3. प्राप्त हुए अग्रिम		–		–
4. निम्नलिखित पर अर्जित किन्तु देय नहीं ब्याज				
(क) प्रतिभूत उधार/उधार लेना	–		–	
(ख) अप्रतिभूत उधार/उधार लेना	–		–	
5. सांविधिक दायित्व		–		–
(क) अतिशोध्य	–		–	
(ख) अन्य	–		–	
6. अन्य चालू दायित्व		–		–
कुल (क)		–		–
ख. उपबंध				
1. कराधान के लिए		–		–
2. उपदान के लिए		–		–
3. अधिवर्षिता/पेन्शन		–		–
4. संचयी अवकाश नकदीकरण		–		–
5. व्यापार की वारन्टियां/दावे		–		–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		–		–
कुल (क)		–		–
कुल (क + ख)		–		–

(राशि-रुपए)

अनुसूची 8-स्थिर आस्तियां वर्णन	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास			शुद्ध ब्लॉक		
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत में कुल	चालू वर्ष के अन्त में	पिछले वर्ष के अन्त में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. स्थिर आस्तियां :										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(ख) पट्टा धृति	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(ख) पट्टा धृति भूमि पर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/भवन	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
(घ) ऐसी भूमि, जो संगठन की नहीं है, पर बनाई गई अधिरचना	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
3. संयंत्र की मशीनरी और उपस्कर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
4. यान	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर, साज-सज्जा	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
6. कार्यालय उपस्कर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
7. कम्प्यूटर/परिधीम	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
8. विद्युत उपस्कर	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
9. पुस्तकालय, पुस्तक	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
10. ट्यूबवैल और जल आपूर्ति	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य स्थिर आस्तियां	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का कुल	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
पिछला वर्ष	–	–	(–)	–	–	–	–	–	–	–
ख. पूंजी संकर्म की प्रगति										
कुल										

(उपर्युक्त के साथ अवक्रम आधार पर ली गई आस्तियों की लागत के सम्बन्ध में टिप्पण दिया जाए।)

(राशि-रुपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 9-नियत/सावधि निधियों से विनिधान		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3. शेयर	–	–
4. डिबेन्चर और बान्ड	–	–
5. अनुषंगी और संयुक्त उद्यमों	–	–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएं)	–	–
योग	–	–

(राशि-रुपए)

अनुसूची 10—निवेश-अन्य	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3. शेयर	–	–
4. डिबेंचर और बान्ड	–	–
5. अनुषंगी और संयुक्त उद्यमों में	–	–
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएं)	–	–
कुल	–	–

(राशि-रुपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11-चालू आस्तियां, उधार, अग्रिम आदि		
1. चालू अस्तियां		
माल सूचियां		
(क) भण्डार और अतिरिक्त	–	–
(ख) खुले औजार	–	–
(ग) व्यापार में लगा भंडार	–	–
तैयार माल	–	–
चल रहे कार्य	–	–
अपरिष्कृत सामग्री	–	–
2. विविध ऋणी		
(क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	–	–
(ख) अन्य	–	–
3. नकद बकाया (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	–	–
4. बैंक में अतिशेष :		
(क) अनुसूचित बैंकों में		
—चालू खातों में	–	–
—जमा खातों में (सीमान्त धन सहित)	–	–
—बचत खातों में	–	–
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
—चालू खातों में	–	–
—जमा खातों में	–	–
—बचत खातों में	–	–
5. डाकघर बचत खातों में	–	–
कुल (क)	–	–

(राशि-रुपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11-वर्तमान आस्तियां, उधार, अग्रिम आदि (निरंतर)		
ख. उधार, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण :		
(क) कर्मचारिवृन्द	–	–
(ख) संगठन के कार्यों/उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रहे अन्य संगठनों को	–	–
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
2. नकद या वस्तु रूप में या मूल्य के रूप में वसूल किए जाने योग्य अग्रिम और अन्य रकम—		
(क) पूंजी लेखे में	–	
(ख) पूर्वभुगतान	–	
(ग) अन्य	–	

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
3. अर्जित आय		
(क) नियत/सावधि निधियों के निवेश से	–	–
(ख) अन्य विनिधान से	–	–
(ग) उधार और अग्रिमों से	–	–
(घ) अन्य	–	–
(..... रुपए की वसूल न की जा सकी आय शामिल है ।)	–	–
4. प्राप्ति योग्य दावे	–	–
कुल (क)	–	–
कुल (क+ख)		

(राशि-रुपए)

अनुसूची 12-विक्रय/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) विक्रय से आय		
(क) तैयार वस्तुओं के विक्रय से	–	–
(ख) अपरिष्कृत सामग्री के विक्रय से	–	–
(ग) स्क्रैप के विक्रय से	–	–
(2) सेवाओं से आय		
(क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार	–	–
(ख) वृत्तिक/परामर्शी सेवाएं	–	–
(ग) अभिकरण आयोग और दलाली	–	–
(घ) रख-रखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति)	–	–
(ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

(राशि-रुपए)

अनुसूची 13-अनुदान/अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निम्नलिखित से प्राप्त किए गए ऐसे अनुदान और सहायता जो वापिस नहीं की जानी।)		
(1) केन्द्रीय सरकार से	–	–
(2) राज्य सरकार (सरकारों) से	–	–
(3) सरकारी अभिकरणों से	–	–
(4) कल्याण संस्थाओं/निकायों से	–	–
(5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से	–	–
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

(राशि-रुपए)

अनुसूची 14-फीस/अंशदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) प्रवेश शुल्क	–	–
(2) वार्षिक शुल्क/अंशदान	–	–
(3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	–	–
(4) परामर्श शुल्क	–	–
(5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

टिप्पणी : प्रत्येक मद के लिए लेखा नीतियों का प्रकटीकरण किया जाएगा ।

अनुसूची 15-विनिधान से आय	सावधि निधि से विनिधान		विनिधान-अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(नियत/स्थायी निधियों में निवेश से आय जो निधियों में हस्तान्तरित की गई ।				
(1) ब्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से	–	–	–	–
(ख) अन्य बांन्ड/डिबेन्चरों में निवेश से	–	–	–	–
(2) लाभांश				
(क) शेयरों पर	–	–	–	–
(ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	–	–	–	–
(3) किराया	–	–	–	–
(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–
नियत/सावधि निधियों में हस्तान्तरित				

(राशि-रुपए)

अनुसूची 16-स्वामित्व, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) रायल्टी से आय	–	–
(2) प्रकाशनों से आय	–	–
(3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 17-अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) सावधि जमाओं पर		
(क) अनुसूचित बैंकों में	–	–
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	–	–
(ग) संस्थानों में		
(घ) अन्य		
(2) बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों में	–	–
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	–	–
(ग) डाकघर बचत खातों में		
(घ) अन्य		
(3) ऋणों पर	–	–
(क) कर्मचारी/कर्मचारिवृन्द		
(ख) अन्य		
(4) ऋणियों और अन्य लेनदारियों पर ब्याज	–	–
कुल	–	–

टिप्पण : स्रोत पर काटे गए आयकर का उल्लेख करें ।

अनुसूची 18-अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) आस्तियों के विक्रय/निपटान से लाभ		
(क) स्वामित्व वाली आस्तियां	–	–
(ख) अनुदान में अथवा नि:शुल्क प्राप्त परिसम्पत्तियां	–	–
(2) निर्यात प्रोत्साहनों से मिली राशि	–	–
(3) विविध सेवाओं के लिए फीस	–	–
(4) विविध आय	–	–
योग	–	–

अनुसूची 19-तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि (कमी) और चल रहे कार्य	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) बंद होते समय स्टॉक		
-तैयार वस्तुएं	–	–
-चल रहे कार्य	–	–
(ख) घटा : आरम्भिक स्टॉक		
-तैयार वस्तुएं	(–)	(–)
-चल रहे कार्य	(–)	(–)
शुद्ध वृद्धि (कमी) [क–ख]	–	–

अनुसूची 20-स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	–	–
(ख) भत्ते और बोनस	–	–
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	–	–
(घ) अन्य निधियों में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
(ङ) कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय	–	–
(च) कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति और लाभों पर व्यय	–	–
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 21-अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) क्रय	–	–
(ख) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	–	–
(ग) माल लाने की ढुलाई और परिवहन	–	–
(घ) विद्युत और शक्ति	–	–
(ङ) जल प्रभार	–	–
(च) बीमा	–	–
(छ) मरम्मत और रख-रखाव	–	–
(ज) उत्पाद शुल्क	–	–
(झ) किराया दर और कर	–	–
(ञ) यान व्यवस्था और रख-रखाव	–	–
(ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	–	–
(ठ) मुद्रण और स्टेशनरी	–	–
(ड) यात्रा और वाहन व्यय	–	–
(ढ) सेमीनार/कार्यशालाओं पर व्यय	–	–
(ण) अंशदान व्यय	–	–
(त) फीस पर व्यय	–	–
(थ) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	–	–
(द) आतिथ्य व्यय	–	–
(ध) वृत्तिक व्यय	–	–
(न) डूबे और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–
(प) बट्टे खाते में डाले गए वसूल न होने योग्य बकाया	–	–
(फ) पैकिंग प्रभार	–	–
(ब) माल भेजने पर व्यय	–	–
(भ) संवितरण व्यय	–	–
(म) विज्ञापन और प्रचार	–	–
(य) अन्य (उल्लेख करें)	–	–
कुल	–	–

(राशि - रुपये)

अनुसूची 22-अनुदान, अनुषंगी इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	–	–
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता	–	–
कुल	–	–

टिप्पण- अनुदान/अनुषंगी की राशि के साथ-साथ संगठनों के नाम और उनकी गतिविधियों का प्रकटीकरण किया जाए ।

अनुसूची 23-ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) सावधि ऋणों पर	–	–
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	–	–
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 24-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (दृष्टांत रूप में)

1. लेखा परिपाटियां

वित्तीय विवरणी, जब तक अन्यथा अभिकथित न हो, ऐतिहासिक लेखा परिपाटियों और लेखा गणना के वास्तविक तरीके के आधार पर तैयार की जाती हैं ।

2. सूची का मूल्यांकन

2.1 भंडार और पुर्जों (मशीनरी के पुर्जे भी सम्मिलित) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।

2.2 अपरिष्कृत माल, अर्ध निर्मित माल और तैयार माल का मूल्यांकन, न्यूनतम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य के आधार पर तैयार किया जाता है। ये लागतें संगणित औसत लागत पर आधारित होती हैं। तैयार सामान और अर्ध निर्मित सामान की लागत का निर्धारण माल, श्रम और सम्बधित खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

3. निवेश

3.1 "दीर्घकालिक विनिधान" के रूप में वर्गीकृत विनिधान की गणना, लागत आधार पर की जाती है । अस्थायी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के गिरावट से सम्बधित उपबंध ऐसे विनिधान की लागत की गणना करके किए जाते हैं ।

3.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत विनिधानों की गणना न्यूनतम लागत और वास्तविक लागत आधार पर की जाती है । ऐसे निवेशों के मूल्य पर होने वाली गिरावट संबंधी उपबंध, प्रत्येक विनिधान के लिए अलग-अलग, न कि वैश्विक आधार पर किए जाते हैं ।

3.3 लागत के अंतर्गत अधिग्रहण व्यय जैसे टूट-फूट, अंतरण स्टैम्प्स भी सम्मिलित हैं ।

4. उत्पाद शुल्क

अस्तित्व द्वारा उत्पादित माल, निर्यात से भिन्न, से संबंधित उत्पाद शुल्क के दायित्व की गणना, विनिर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरांत की जाती है और वर्ष के अंत में उत्पादयोग्य विनिर्मित माल के लिए उपबंध किए जाते हैं ।

अनुसूची 24-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (व्याख्यात्मक)-जारी

5. नियत आस्तियां

5.1 नियत आस्तियों का उल्लेख अधिअर्जन की लागत जिसमें माल-भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन संबंधी आकस्मिक और प्रत्यक्ष कर भी अंतर्विलित हैं, के रूप में किया गया है। संनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में प्रासंगिक प्रचालन पूर्व व्यय (जिसके अंतर्गत परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व परियोजना विशेष के लिए उधार पर संबंधित ब्याज भी शामिल है), पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग होता है ।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में प्राप्त नियत आस्तियों के मूल्य के बराबर पूंजी आरक्षिति में तत्स्थानी जमा करके उसके मूल्य को पूंजीगत किया जाता है ।

6. मूल्यह्रास

6.1 मूल्यह्रास का उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (स्टेटलाईन मैथड) के आधार पर किया जाता है, परंतु इसमें स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा दायित्वों के संपरिवर्तन के लेखों से उत्पन्न होने वाले लागत समायोजनों से संबंधित मूल्यह्रास के सिवाय और जिसे संबंधित आस्तियों की अवशिष्ट जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है ।

6.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में होने वाले परिवर्धनों/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास का विचारण यथाअनुपात आधार पर किया जाता है ।

6.3 5000 या कम लागत की आस्तियों में से प्रत्येक का संबंध में पूर्णत: उपबंध किया जाता है ।

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को इसके खर्च होने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् बट्टेखाते में डाला जाता है ।

8. विक्रय के लिए लेखा-जोखा

बिक्री के अंतर्गत उत्पाद शुल्क और बिक्री विवरणी, छूट और व्यापार मितिकारे का शुद्ध भी सम्मिलित है ।

विक्रय में उत्पाद शुल्क और बिक्री विवरणी, छूट और व्यापारिक बट्टा की शुद्ध राशि शामिल होती है ।

9. सरकारी अनुदान/सबसिडी

9.1 परियोजना की स्थापना करने की पूंजी लागत के प्रति अंशदान के रूप में दिए गए सरकारी अनुदान को आरक्षित पूंजी कहा जाता है ।

9.2 अधिअर्जित विशिष्ट अचल परिसम्पत्ति के प्रति दिए गए अनुदान को संबंधित परिसम्पत्ति की लागत से हुई कटौती के रूप में दिखाया गया है ।

9.3 सरकारी अनुदान/सबसिडी की गणना वसूली के आधार पर की गई है ।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय

10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन की गणना लेनदेन की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर की गई है ।

10.2 विदेशी परिसम्पत्तियों, विदेशी उधार और वर्तमान देयताओं का रूपांतरण वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दर पर किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को अचल परिसम्पत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसम्पत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में माना जाता है ।

11. पट्टा

पटटे से प्राप्त किराये को पट्टे की शर्तों के अनुसार खर्च किया जाता है।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित किया जाता है।

12.2 कर्मचारियों को छुटटी नकदीकरण संबंधी उपबंध का लाभ प्रदान किया जाता है और इसकी गणना इस अनुमान पर की जाती है कि कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष के अंत में इस लाभ को प्राप्त करने का हक है।

अनुसूची 25-आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियां (दृष्टांत रूप में)

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 अस्तित्व के विरुद्ध दावे, उधार के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं— रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

1.2

मेरे द्वारा/इकाई की ओर से बैंक गारंटी— रु..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

इकाई की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र— रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

बैंक के पास डिस्काउंटेड बिल— रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.) के संबंध में

1.3

आयकर —रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

बिक्री कर— रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

नगर निगम कर— रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

के संबंध में विवादित मांगें

1.4 आदेशों के निष्पादन न करने के संबंध में पक्षकारों से प्राप्त दावे, किन्तु जिन्हें अस्तित्व द्वारा इंकार किया गया है रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखों पर निष्पादन के लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य और जिनका उपबंध नहीं है

(शुद्ध अग्रिम)—रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

3. पट्टा संबंधी बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तपोषित पट्टा प्रबंधन के अधीन किरायों के लिए भावी दायित्व रु. ..... (पूर्ववर्ती वर्ष ..... रु.)

4. चालू आस्तियां उधार और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम, तुलन पत्र में प्रदर्शित कुल रकम में कम से कम बराबर व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वसूल की गई के मूल्य के बराबर होगी।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर योग्य आय न होने की दृष्टि से आयकर का उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी आई एफ आधार पर संगणित आयात का मूल्य :

- तैयार माल की खरीद
- कच्चा माल और घटक (मालभाड़ा सहित)
- पूंजीगत सामान
- भंडार, कलपुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा पर व्यय :

(क) यात्रा

(ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंको को विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम और ब्याज का भुगतान

(ग) अन्य व्यय :

- बिक्री पर कमीशन
- विधिक और वृत्तिक व्यय
- विविध व्यय

6.3 उपार्जन :

एफ ओ बी आधार पर निर्यात का मूल्य

6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :

लेखा परीक्षक के रूप में

- कराधान मामले
- प्रबंधकीय सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए

अन्य

7. जहां आवश्यक है वहां पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।

8. संलग्न अनुसूची 1 से 25 और प्ररूप, पृष्ठ ..... पर दिए गए तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं और आयकर और व्यय लेखे उस तारीख को समाप्त वर्ष के संबंध में हैं ।

उपाबंध-घ

अनुदेश और लेखा सिद्धांत

अलाभ संगठनों और अन्य समरूप संस्थाओं के वित्तीय विवरण के संकलन के लिए टिप्पण और अनुदेश

अनुदेश और लेखा सिद्धांत

(1) अलाभ संगठनों और अन्य समरूप संस्थाओं के वित्तीय विवरण (जैसे तुलन पत्र और आय-व्यय लेखे) उपार्जित आधार पर तैयार होंगे, और सुझाए गए के प्रारूप में होंगे, या यथासंभव निकटतम स्वरूप के होंगे ।

यदि इस प्ररूप में किसी ऐसी मद या उप-मद के अधीन जानकारी देनी अपेक्षित है जिसे यथास्थिति, तुलन पत्र या आय और व्यय लेखा, में शामिल नहीं किया जा सकेगा तो इसे संलग्न अलग अनुसूची या अनुसूचियों में तुलन पत्र या आय-व्यय लेखा के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा । जहां अनेक मदें होती हैं, वहां इसकी सिफारिश की जाती है ।

(2) तुलन पत्र या आय-व्यय लेखा तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का एक विवरण वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा और उस महत्वपूर्ण लेखा नीति का एक स्थान पर खुलासा किया जाएगा । लेखा नीतियों का तात्पर्य ऐसे विशेष लेखा सिद्धांतों और उन सिद्धांतों को लागू करने वाले पद्धति से है जो किसी अस्तित्व द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनाया जाता है । जहां कोई लेखा नीति, लेखा संबंधी मानदंडों के अनुरूप नहीं होती है और लेखा मानदंडों से विपथन का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, वहां इस विपथन के विवरणों का खुलासा उनके कारणों और उसके वित्तीय प्रभावों के साथ किया जाएगा, सिवाय तब, जब ऐसे प्रभाव का आकलन करना संभव न हो ।

(3) लेखा नीतियों को निरन्तर एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाता रहेगा । लेखा नीतियों में किसी प्रकार के परिवर्तन, जिसका चालू अवधि में सारत: प्रभाव पड़ता हो, या जिसका बाद में सारत: प्रभाव पड़ने की युक्तियुक्त संभावना हो, को प्रकट किया जाएगा । लेखा नीतियों में ऐसा परिवर्तन होने की स्थिति में, जिसका चालू अवधि में तात्विक प्रभाव पड़ता हो, वह राशि जिसके द्वारा वित्तीय विवरण की किसी मद में ऐसे परिवर्तन की वजह से प्रभाव पड़ता हो, का भी प्रकटीकरण उसके निर्धारण की सीमा तक किया जाएगा । जहां ऐसी रकम का विनिर्धारण करना संभव न हो वहां उसका पूर्णत: या अंशत: प्रकटीकरण किया जाएगा ।

(4) तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा, उसके लेन-देन और कार्यक्रमों की लेखा प्रणाली तथा उसके प्रस्तुतीकरण का नियंत्रण तथ्यात्मक रूप में किया जाएगा न कि केवल विधिक रूप में ।

(5) तुलन पत्र एवं/या आय-व्यय लेखा की किसी मद के लेखा के व्यवहार के निर्धारण तथा उसके प्रकट करने की रीति अपनाते समय उसकी तथ्यात्मकता की अवधारणा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ।

(6) सभी ज्ञात दायित्वों और हानियों के संबंध मे उपबंध किया जाएगा, यद्यपि राशि का अवधारण पर्याप्त यथार्थता (और राशि का आशय उपलब्ध जानकारी के आलोक में सर्वोत्तम अनुमान से है) के साथ न की जा सकती हो ।

उपबंध से किसी ऐसे बट्टे खाते में डाली गई किसी रकम से अभिप्रेत है जो मूल्यह्रास, नवीकरण या आस्तियों का मूल्य कम हो जाने के लिए किए गए उपबंध करने या किसी ज्ञात देयता के लिए किए गए उपबंध की उस रकम से है जिसका अवधारण पर्याप्त यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता है ।

आकस्मिक हानि के लिए उपबंध किया जाएगा, यदि :

(क) यह संभव हो कि भावी कार्यक्रम से यह पुष्टि होती है कि किसी संबंधित संभाव्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, कोई आस्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, या तुलन पत्र की तारीख को उस पर दायित्व डाला गया है, और

(ख) इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान की राशि का युक्तिसंगत अनुमान किया जा सकता है ।

यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो आय-व्यय लेखा में होने वाले आकस्मिक हानि को प्रकटन टिप्पण द्वारा किया जाएगा, जब तक कि हानि की संभावना दूर-दूर तक न हो ।

(7) यदि मूल्यह्रास, नवीनीकरण या आस्ति का मूल्य कम हो जाने के लिए उपबंध करके बट्टे खाते में डाली गई या रोकी गई या किसी ज्ञात दायित्व के लिए उपबंध करके रोकी गई, कोई रकम, उस रकम से अधिक है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो अतिरिक्त राशि को उपबंध न मानकर आरक्षिति रकम माना जाएगा ।

(8) राजस्व नहीं माना जाएगा जब तक कि :

(क) संबंधित अनुपालन प्राप्त किया जा चुका है;

(ख) प्रतिफल की रकम के संबंध में कोई गम्भीर अनिश्चितता नहीं हो;

(ग) संग्रहण और इसके फलस्वरूप संग्रह की आशा करना अनुपयुक्त नहीं है ।

(9) निम्नलिखित के संबंध में आय-व्यय लेखे में अलग से प्रकटन किया जाएगा :

(क) "पूर्व अवधि" मदें, जिनमें ऐसी आय या व्ययों की महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं जो एक या अधिक अवधि के वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई भूलों और चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न हुई हैं ।

(ख) "असाधारण" मदें, जिनमें ऐसी आय या व्ययों की महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं जो उन कार्यक्रमों या लेन-देन से उत्पन्न हुई हैं जो अस्तित्व की सामान्य गतिविधियों से अलग प्रकार की हैं और, इसलिए, इनके बार-बार या नियमित रूप से होने की उम्मीद नहीं होती है ।

(ग) "विविध आय" शीर्ष के अंतर्गत ऐसी अन्य मद जो इकाई के कुल कारोबार के 1 प्रतिशत या 50,000 रु., इनमें जो भी अधिक हो, से अधिक है । इसे आय-व्यय लेखा में उपयुक्त लेखा शीर्ष के अधीन दिखाया जाएगा ।

(घ) "विविध व्यय" शीर्ष के अंतर्गत ऐसी अन्य मद जो इकाई के कुल कारोबार के 1 प्रतिशत या 50,000 रु., इनमें जो भी अधिक हो, से अधिक है । इसे आय-व्यय लेखा के उपयुक्त लेखा शीर्ष में पृथक और अलग मद के रूप में दिखाया जाएगा ।

(10) प्ररूप, लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक टिप्पण में उल्लिखित अनुसूची, वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग होगी ।

(11) तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा के नोट में, तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा की मद से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री शामिल होंगी ।

(12) तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा के आंकड़ों को यदि पूर्णांकित किया जाएगा तो उनका पूर्णांकन निम्नवत् होगा :

कारोबार की राशि (रु. में)	पूर्णांकित राशि (रु. में)
एक लाख से कम	सौ
एक लाख या अधिक किन्तु एक करोड़ से कम	हजार
एक करोड़ या अधिक किन्तु एक सौ करोड़ से कम	लाख
एक सौ करोड़ या अधिक किन्तु एक हजार करोड़ से कम	करोड़

(13) इसका उल्लेख सुझाए गए रूप में संलग्न टिप्पण और इसके संकलन संबंधी अनुदेशों में भी किया जा सकता है ।

उपाबंध-ङ

अनुसूची के लिए टिप्पण और अनुदेश
अलाभ संगठनों और अन्य समरूप संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए टिप्पण और अनुदेश

समग्र/पूंजीगत निधि और दायित्व

अनुसूची 1-समग्र/पूंजीगत निधि

(क) समग्र/पूंजीगत निधि, पूंजी, शेयर पूंजी या स्वामित्व निधि के सदृश होती है । इसमें अंशदान के रूप में विशेषत: आय-व्यय में दर्शायी गई प्रचालन निष्कर्षों द्वारा बढ़ी/घटी राशि के रूप में (आरक्षित निधि या निर्धारित निधि में अंतरित अतिरिक्त राशि को छोड़कर, यदि कोई हो) समग्र में प्राप्त राशि शामिल होती है ।

(ख) इस शीर्ष में अतिशेष, जमा की गई, कटौती की गई, समग्र/पूंजीगत निधि के अथशेष को प्रदर्शित किया जाएगा ।

(ग) समग्र निधि में जमा की गई राशि, यदि कोई है, किसी आरक्षित या निश्चित निधि में संविधि या लागू विनियमों के अधीन अपेक्षित अंतरणों का शुद्ध होगी ।

संग्रह/पूंजीगत निधि और दायित्व

अनुसूची 2–आरक्षित और अधिशेष

1. आरक्षिति पूंजी :
- आरम्भिक अतिशेष
- वर्ष के दौरान जमा
- वर्ष के दौरान कटौतियां

"आरक्षिति निधि" मद में आय-व्यय लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त रकम के रूप में कोई भी रकम शामिल होगी । पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त अधिशेष रकम को आरक्षिति निधि माना जाएगा और उसे अलग से दर्शाया जाएगा । विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों के अंतरण से प्राप्त अतिरिक्त रकम, यदि है, पुनर्मूल्यांकित आरक्षित रकम नहीं है ।

2. पुनर्मूल्यांकित आरक्षित
- आरम्भिक अतिशेष
- वर्ष के दौरान जमा
- वर्ष के दौरान कटौतियां

बदलती कीमतों के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ऐतिहासिक लागत में अन्यथा उल्लिखित अचल परिसम्पति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन द्वारा प्रतिस्थापित ऐतिहासिक लागत का कार्य सामान्यतौर पर सक्षम मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है । आगामी पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त ऐसी प्रतिस्थापित राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति निधि" के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित है । यह आरक्षित निधि वसूला ना गया लाभ है और इसे आय-व्यय लेखे में आय के रूप में जमा नहीं किया जाएगा ।

3. विशेष आरक्षित निधि ➢आरम्भिक अतिशेष ➢वर्ष के दौरान जमा ➢वर्ष के दौरान कटौतियां	इनमें किसी संविधि या इकाई पर लागू विनियामक अपेक्षता के अनुसरण में सृजित की जाने वाली विशिष्ट आरक्षित निधि शामिल होगी, और यदि ऐसा है तो इसे अनुसूची 27 में लेखों के टिप्पण में स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
4. सामान्य आरक्षित निधि ➢आरम्भिक अतिशेष ➢वर्ष के दौरान जमा ➢वर्ष के दौरान कटौतियां	"साधारण आरक्षिति निधि" शब्द का तात्पर्य आरक्षिति पूंजी और पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति निधि से इतर कोई अन्य निधि से होगा । इस मद में अलग से वर्गीकृत रकम से इतर सभी आरक्षित रकम सम्मिलित होंगी ।

टिप्पण-साधारण

(क) विभिन्न प्रकार की आरक्षिति राशियों में हुए संचलन को अनुसूची में प्रदर्शित अनुसार दर्शाया जाएगा ।

(ख) "आरक्षित" शब्द में बट्टे खाते में डाली गई या मूल्यह्रास, नवीनीकरण या परिसम्पति का मूल्य कम हो जाने के लिए किए गए उपबंध की गई या किसी ज्ञात देयता के लिए किए गए उपबंध की राशि सम्मिलित नहीं होगी ।

अनुसूची 3-निर्धारित/स्थायी निधियां

अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त अथवा द्वारा विशिष्ट या निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए रोकी गई रकम और ऐसे निश्चित प्रयोजन, जिस पर इसे व्यय/उपयोग करने का आशय है, के लिए रखी गई रकम को इस शीर्ष के अधीन प्रकट किया जाना अपेक्षित है । ऐसी निधियां नकद या वस्तु के रूप में सरकार, सरकारी अभिकरणों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों आदि से प्राप्त की जा सकेगी और यह अस्तित्व द्वारा कतिपय विनिर्धारित निबन्धन और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन है । इसी कारण, उपलब्ध बकाया और उनके उपयोग का प्रकटन अनुसूची में सुझाई गई रीति से किया जाना चाहिए । केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को निधियों के अलग प्रवर्ग में दर्शाया जाएगा ।

किसी कुर्सी, मकान, भवन, न्यास आदि के लिए निश्चित/स्थायी अन्य योजनागत निधियों को निधियों की अलग श्रेणी में दर्शाया जाएगा ।

निम्नलिखित की गणना निश्चित निधियों के रूप में नहीं की जाएगी:–

(क) ऐसे अनुदान/निधियां जो संप्रवर्तक अंशदान के रूप में हैं और जो समग्र निधि में अतिरिक्त/उपार्जित स्वरूप की हैं,

(ख) अस्तिव द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में हुए व्यय/हानि के प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त निधियां/अनुदान क्योंकि इन्हें केवल वर्ष के आय-व्यय लेखों में गिना जाएगा ।

(ग) पूंजी अस्तिवों या अन्य संसाधनों, तत्स्थानी जमाओं के रूप में ऐसा गैर मौद्रिक अनुदान, जो पूंजी आरक्षिति प्रकृति का है, जब तक कि ऐसे अनुदान को स्थायी निधि के अंशदान के रूप में विनिर्धारित नहीं किया जाता है ।

टिप्पण-साधारण

(क) यह सुनिश्चित करना उपयुक्त होगा कि निश्चित निधियों का उपार्जन और उपयोग उनकी निबंधन और शर्तों के अनुसार हो ।

(ख) निश्चित निधियों को, उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से निर्धारित या अन्य आस्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधि के रूप म दर्शाया जाएगा और उन्हें किसी अन्य निधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(घ) अर्जित/निर्मित स्थिर आस्तियों से सम्बन्धित अभिलेख को प्रत्येक निश्चित निधि के लिए रखा जाएगा । तथापि, वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रयोजन के लिए, समग्र संचित लागत और प्रत्येक निधि के संबंध में ऐसी स्थिर आस्तियों का प्रकटन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा जब तक कि आस्तियों को ग्रहण नहीं कर लिया जाता है और अनुसूची 8 में सम्मिलित नहीं किया जाता है ।

अनुसूची 4-प्रतिभूति उधार/उधार लेना

1. केन्द्रीय सरकार	प्रतिभूति की प्रकृति और प्रतिसंदाय की शर्तों को दर्शाएं ।
2. राज्य सरकार	राज्य सरकार का नाम और प्रतिभूति की प्रकृति और प्रतिसंदाय की शर्तों को दर्शाएं ।
3. वित्तीय संस्थाएं	जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (जिसके अंतर्गत सहभागिता प्रमाण-पत्र के प्रति देयता, यदि कोई है, सहित) से प्राप्त उधार लेना/पुनर्वित्त भी शामिल है । सामान्यत: ये सावधि उधार के रूप में हो सकते हैं ।

4. बैंक — वाणिज्यिक बैंकों (जिसके अंतर्गत सहकारी बैंक भी हैं) से प्राप्त उधार लेना/पुनर्वित्त भी है ।

(क) सावधि उधार — सावधि उधार को अन्य सुविधाओं से पृथक किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) अन्य उधार

5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण — उपर्युक्त उल्लिखित को छोड़कर अन्य संस्थाएं/अभिकरण ।

6. डिबेंचर और बंधपत्र — डिबेंचरों और बंधपत्र के विमोचन की शर्तों को उनके विमोचन की तारीख को सूचित किया जाना चाहिए ।

टिप्पण-साधारण

(क) प्रत्येक मामले में दी गई प्रतिभूति की प्रकृति को देखते हुए जानकारी प्रदान की जाएगी ।

(ख) अस्तित्व की अस्तियों पर प्रतिभूति उधार और उधार लेना पर हुए आडमान/गिरवी/प्रभार के अनुसार होंगे ।

(ग) प्रत्येक शीर्ष के अधीन उधार की कुल रकम, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हैं, का भी उल्लेख इस तथ्य के साथ किया जाए कि ये इस प्रकार प्रत्याभूति दी गई हैं ।

(घ) उधार और उधार लेने के अंतर्गत संस्थाओं और अभिकरणों से पुनर्वित्त और सहभागिता प्रमाण-पत्र के प्रति दायित्व भी है ।

(ड.) ऋणों का मितीकारा या प्राप्तयोग्य या पुन: मितीकारा के माध्यम से प्राप्त रकम को उधार लिए गए रूप में दर्शाया जाएगा ।

(च) प्रत्येक ऐसे उप-शीर्ष के अधीन प्रोद्भूत ब्याज और देय राशि शामिल होगी । इस शीर्ष के अधीन प्रोद्भूत ब्याज किन्तु जो देय नहीं है, को सम्मिलित नहीं किया जाएगा परन्तु, इसे "वर्तमान दायित्वों" के एक भाग के रूप मे दर्शाया जाएगा ।

(छ) जमा राशि में आशोधित अंतर-शाखा बकाया प्रविष्टियों को उधार लिए गए के रूप में नहीं दर्शाया जाएगा ।

(ज) तुलन-पत्र में 12 माह से कम अवधि के भीतर देय रकम का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अनुसूची 5-अप्रतिभूति उधार/उधार लेना

1. केन्द्रीय सरकार — पुनर्भुगतान की शर्तें दर्शित करें ।

2. राज्य सरकार — सरकार का नाम और पुनर्भुगतान की शर्तें दर्शित करें ।

3. वित्तीय संस्थाएं — भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त उधारी शामिल है । सामान्यत: ये सावधि उधार के रूप में हो सकते हैं । आस्ति पर प्रभार के लम्बित सृजन, पुलउधारों को असुरक्षितउधार के रूप में दर्शाया जा सकता है ।

4. बैंक — वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से प्राप्त उधार लेना भी शामिल है । सुविधाओं के स्वरूप को दर्शाएं बहियों पर दिए गए बकाया को उधार नहीं माना जाएगा और यह आमतौर पर बही में बकाया से अधिक का चेक जारी करने के कारण होता है। ऐसे बकायों को केवल उधार के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां इकाई को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है ।

5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण — उपर्युक्त उल्लिखित को छोड़कर अन्य संस्थाओं/अभिकरणों से प्राप्त उधार शामिल हैं ।

6. डिबेंचर और बंधपत्र — डिबेंचरों और बंधपत्र के विमोचन की शर्तों को उनके विमोचन की तारीख को सूचित किया जाना चाहिए ।

7. सावधि जमा — इनमें जनता या अन्य से निश्चित अवधि के लिए और बिना किसी प्रतिभूति के प्राप्त जमा शामिल होते हैं ।

टिप्पण-साधारण

(क) अप्रतिभूति उधार और उधार लेने में वह राशि शामिल होती है जिसके संबंध में इकाई की किसी आस्ति को प्रतिभूति या धरोहर के रूप में नहीं रखा जाता है ।

(ख) प्रत्येक उप-शीर्ष के अधीन उपार्जित ब्याज और देय राशि शामिल होगी । इस शीर्ष के तहत उपार्जित ब्याज किन्तु जो देय नहीं है, को शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु, इसे "वर्तमान दायित्व" के एक भाग के रूप में दर्शाया जाएगा ।

(ग) तुलन-पत्र में 12 माह से कम अवधि के भीतर देय राशि को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है ।

अनुसूची 6-आस्थगित जमा दायित्व

(1) परिसम्पत्ति के अर्जन के संबंध में की गई संविदागत स्वीकृतियां और समान दीर्घावधि दायित्व जिनके भुगतान की दायित्व तुलन-पत्र की तारीख को 12 माह से ज्यादा अवधि में आता है, यहाँ सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

(2) यदि आस्तियों को दायित्व के समरूप प्रतिभूति या बंधक के रूप में प्रभारित किया जाता है तो इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(3) यदि स्वीकृतियों की गारन्टी किसी सरकार, सरकारी अभिकरण, बैंक, संस्था या अन्य निकाय/इकाई द्वारा दी जाती है तो इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(4) यदि धनराशि, तुलन-पत्र की तारीख के वर्ष के भीतर देय है तो उसको पृथक रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है।

अनुसूची 7-चालू दायित्व और उपबंध

क-चालू दायित्व

1. स्वीकृतियां — इस उपशीर्ष के अधीन निकासीकर्ता के आदेश पर विनिमय पत्रों पर निकासीकर्ता की सहमति शामिल होगी।

2. विविध जमाकर्ता — इस उपशीर्ष के अधीन दर्शायी जाने वाली राशि में अस्तित्व द्वारा संविदागत दायित्वों के संबंध में अन्य के पक्ष में सामान की खरीद के लिए या दी गई सेवा के लिए कर्ज ली गई राशि शामिल है। इन्हें 'सामान' के लिए पृथक रखे जाने और अलग से दिखाने की आवश्यकता है।
   (क) माल के लिए
   (ख) अन्य

3. प्राप्त अग्रिम — इस उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाली बाध्यता में उन मालों या सेवाओं के संबंध में प्राप्त वह राशि शामिल है जो अभी प्रदाय की जानी हैं या जिसके लिए अभी मूल्य का निर्धारण किया जाना है और इसमें अग्रिम अंशदान भी शामिल है।

4. उपार्जित ब्याज किन्तु जो देय नहीं है — इसमें वर्ष के अंत तक उपार्जित ब्याज शामिल है परंतु इसमें प्रतिभूत/अप्रतिभूति उधार और उधार लेना शामिल नहीं हैं।
   (क) प्रतिभूत उधार/उधारियां
   (ख) अप्रतिभूत उधार/उधारियां

5. सांविधिक दायित्व — इसमें अस्तित्व को शासित करने वाले केन्द्रीय/राज्य विधियों के अनुसार दायित्व शामिल हैं; और आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत से कटौती की गई राशि के संबंध में भुगतान न की गई दायित्व, सांविधिक बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, ई.एस.आई., एस.एस.आई. अस्तित्वों को उनके अतिदेयों पर देय ब्याज, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमाकर, और अन्य सांविधिक उपकर शामिल हैं।
   (क) अतिशोध्य
   (ख) अन्य

   अतिदेय दायित्व ऐसी अविवादित राशि है जो सामान्य देय तारीख/निर्धारित अवधि अर्थात् जिनके भुगतान में चूक हुई है, के बाद देय या बाकी रह जाती है।

6. अन्य चालू दायित्व — इसमें वह रकम सम्मिलित होगी जो अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत नहीं है। इस उपशीर्ष में सम्मिलित सामग्री रकम को उनकी प्रकृति दर्शाते हुए अलग से दिखाया जाएगा।

   बही के अनुसार अध्यादान बैंक तुलन पत्र, जहां इकाई के पास अनुमोदित सीमा/अध्यादान सुविधाएं नहीं है इस उपशीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा अथवा पृथक रूप से बही तुलन पत्र की अधिकता में अध्यादान बैंक के रूप में प्रकट होगी।

टिप्पण-साधारण

चालू दायित्व वह है जिसका सुसंगत संक्षिप्त अवधि के भीतर संदाय को हक है जो सामान्यत: जो 12 माह से अधिक नहीं होगा।

ख-उपबंध

1. कराधान हेतु — वर्ष के अंत में कर मामलों की स्थिति के आधार पर उपबंध बनाए जाने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

2. उपदान — कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी से संबंधित देयता उपबंध को बीमांकित आधार पर उपार्जित किए जाने की आवश्यकता है और उसका उपबंध वर्ष के अंत तक होना चाहिए।

3. अधिवर्षिता/पेंशन — कर्मचारी की अधिवर्षिता पर देय उपदान से संबंधित देयता उपबंध को बीमांकित आधार पर उपार्जित किए जाने की आवश्यकता है और उसका उपबंध वर्ष के अंत तक होना चाहिए।

4. एकत्रित छुट्टी	कर्मचारी की एकत्रित छुट्टी से संबंधित नकदीकरण के उपबंध को बीमांकित आधार पर उपार्जित किए जाने की आवश्यकता है और उसका उपबंध वर्ष के अंत तक होना चाहिए ।
5. व्यापार वारंटी/दावे	जहां कोई अस्तित्व सामान का विनिर्माण/प्रसंस्करण बिक्री के लिए किया जा रहा है, वहां यह,व्यवसाय वारंटी जोखिम के लिए उत्तरदायी है जिसका उपबंध युक्तियुक्त/तार्किक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है ।
6. अन्य	इनको विनिदिष्ट किए जाने की आवश्यकता है और इसमें वे संदिग्ध उधार/अग्रिम संबंधी उपबंध शामिल नहीं होंगे जिसकी कटौती प्रासंगिक आस्ति शीर्ष से कर दी जाएगी ।

टिप्पण-साधारण

इस उपबंध में बट्टे खाते में डाली गई या मूल्यह्रास, नवीकरण या आस्ति का मूल्य कम हो जाने के लिए किए गए उपबंध की गई या किसी ज्ञात दायित्व के लिए किए गए उपबंध की गई वह राशि शामिल नहीं होगी जिसका अवधारण पर्याप्त यथार्थता से नहीं किया जा सकता है ।

आस्तियां

अनुसूची 8-स्थिर आस्तियां

1. भूमि	
(क) पूर्ण स्वामित्व	जहां स्थावर संपत्ति सम्मिश्र लागत का भुगतान करके खरीदी/अर्जित की जाती हैं वहां भूमि लागत का युक्तियुक्त/उपयुक्त अनुमान किया जाना चाहिए और उसे पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
(ख) पट्टाधारण	पट्टे वाली भूमि का विमोचन उसकी पट्टे की अवधि के बाद किया जाना चाहिए, जब तक कि पट्टा शाश्वत अवधि के लिए न हो।
2. भवन	
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	जहां तक व्यवहार्य हो, विभिन्न दरों पर मूल्यह्रास संबंधी उपबंध के प्रयोजन के लिए कारखाना और कार्यालय भवन में अंतर रखना चाहिए ।
(ख) पट्टाधारित भूमि पर	इसमें वे भवन और परिसर होंगे जिनका उपयोग इकाई के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ पूर्णत:/अंशत किए जाने का आशय है और इसमें "विनिधान संपत्तियां" शामिल नहीं होंगी ।
(ग) स्वामित्व वाले फ्लैट्स/परिसर	पट्टाधारित भूमि पर अवसरंचना कार्य, भूमि के विमोचन की सह-कालीन अवधि के लिए किया जाना चाहिए जब तक कि यह अवसंरचना अल्पावधि के लिए न हो ।
(घ) उस भूमि पर अवसंरचना जो इकाई की नहीं है ।	भवनों में सड़कें, पुल और पुलियां शामिल होंगी ।
3. संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर	इस उपशीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल होंगी : - अर्थ मूविंग मशीनें - ब्वॉयलर - भट्ठियां - जनरेटर - डाइयां/मोल्ड - उद्योग विशेष सेवाओं यथा भवन ठेकेदारों, अस्पतालों/निदानशालाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, हाइड्रोलिक कार्यों (पाइप लाइन सहित), उपकरण कक्षों में उपयोग की जाने वाली मशीनें । - विनिर्माण/प्रसंस्करण आदि के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य मदें । बहीखातों में पृथक लेखाशीर्ष रखे जाने चाहिएं और उनका अनुशीलन स्थावर आस्ति रजिस्टरों से किया जाना चाहिएं । उपर्युक्त उपशीर्ष के अंतर्गत जानकारी के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
4. वाहन	इस उपशीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल होंगी: - ट्रैक्टर/ट्रेलर्स - ट्रक, जीप और वैन - मोटर कार - मोटर साइकिलें, स्कूटर, थ्रीव्हीलर्स और मोपेड

	– रिक्शे वही खातों में पृथक लेखाशीर्ष रखे जाने चाहिएं और उनका अनुशीलन स्थावर आस्ति रजिस्टरों से किया जाना चाहिए।
5. फर्नीचर, साज-सामान	इस उपशीर्ष के अधीन निम्नलिखित मदें शामिल होंगी : (क) केबिनेट/अलमारियों/फिलिंग रैक्स (ख) वातानुकूलक/वातानुक्रूलन संयंत्र (ग) एयर कूलर (घ) मेज/कुर्सियां/सोफे/कारपेट (ङ) लकड़ी के विभाजक/अस्थायी अवसंरचना (च) वोल्टेज स्टेबलाइजर, यू.पी.एस. प्रणाली (छ) अन्य मदें महत्वपूर्ण लेखों के लिए बहीखातों में पृथक लेखाशीर्ष रखे जाने चाहिए और उनका सामंजस्य अचल परिसंपत्ति रजिस्टरों से किया जाना चाहिए।
6. कार्यालय उपस्कर	इस उपशीर्ष के अधीन निम्नलिखित मदें शामिल होंगी : (क) टाइपराइटर्स (ख) फोटो कॉपियर/डुप्लिकेटर (ग) फैक्स मशीनें महत्वपूर्ण लेखों के लिए बहीखातों में पृथक लेखाशीर्ष रखे जाने चाहिए। और उनका सामंजस्य स्थिर आस्ति रजिस्टरों से किया जाना चाहिए ।
7. कंप्यूटर/पेरीफेरल्स	कंप्यूटर, प्रिंटर और इनकी फ्लापियां, सीडियां, सॉफ्टवेयर इत्यादि जैसे सामान को इस शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा। महत्वपूर्ण लेखों के लिए बहीखातों में पृथक लेखाशीर्ष रखें जाने चाहिए और उनका सामंजस्य स्थिर आस्ति रजिस्टरों से किया जाना चाहिए।
8. विद्युत अवस्थापनाएं	इस उपशीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल होंगी : (क) विद्युत मशीनें (ख) विद्युत लाइटें/पंखे (ग) स्विचगेयर उपकरण (घ) ट्रांसफारमर्स (ङ) इलेक्ट्रिक वाइरिंग और फिटिंग उपर्युक्त मदों की बाबत महत्वपूर्ण लेखों के लिए बहीखातों में पृथक लेखाशीर्ष रखे जाने चाहिए और उनका सामंजस्य नियत आस्ति रजिस्टरों से किया जाना चाहिए ।
9. पुस्तकालय पुस्तकें	कतिपय मामलों में पुस्तकालय की पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है या वहां एक सुस्थापित पुस्तकालय हो सकता है। ऐसे मामलों में इन पुस्तकों का उल्लेख आस्ति की एक पृथक श्रेणी के रूप में किया जा सकता है। पुस्तकालय की पुस्तकों में पुस्तकें/पत्रिकाएं/सी.डी. रोम में संग्रहीत जानकारी शामिल होंगी ।
10. ट्यूबवेल्स और जल आपूर्ति प्रणाली	ट्यूबवेल्स और जल आपूर्ति प्रणाली को पृथक श्रेणी के रूप में दर्शाया जाएगा ।
11. पूंजी चालू कार्य	इस शीर्ष में निर्माणाधीन स्थिर आस्तियों को उनके इस प्रयोजनार्थ तैयार रहने तक दर्शाया जाना चाहिए। इसमें अर्जित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों और लंबित अवस्थापनाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

टिप्पण-साधारण

1. स्थिर आस्तियां ऐसी आस्तियां होती हैं जो उत्पादन करने या सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के आशय से धारित की जाती हैं और जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान बेचने के लिए नहीं हैं ।

2. प्रत्येक उपशीर्ष में निम्नलिखित दर्शाया जाना चाहिए :—

(क) वर्ष के प्रारंभ में लागत या मूल्यांकन ।

(ख) वर्ष के दौरान वर्धित सामान (अर्जन और अनुदान दोनों के द्वारा) ।

(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां (विक्रय, निपटान, बट्टाखाता) ।

(घ) वर्ष के अंत में कुल लागत/मूल्यांकन ।

(ङ) पिछले वर्ष के अंत तक मूल्यह्रास, जो वर्ष के दौरान वर्धित/कटौती पर हुआ और वर्ष के अंत तक कुल एकत्रित मूल्यह्रास ।

(च) वर्ष के अंत में आस्ति का शुद्ध ब्लॉक ।

3. अर्जित (अनुदान के रूप में या रियायती दरों पर दोनों सहित) या निर्मित स्थिर आस्तियों से संबंधित लेखा नीति का प्रकटन मूल्यह्रास/अपाकरण के लिए अपनायी गई प्रणाली के सहित किया जाना चाहिए ।

4. जहां किसी आस्ति के लिए उसके पुनर्मूल्यांकन के कारण से मूल्य अंकित किया गया है, तो उसके आधारों का प्रकटन किया जाना चाहिए, और पहले वाले तुलन पत्र के पश्चात् प्रत्येक तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन करने के बाद पांच वर्षों की अवधि से संबंधित संशोधित आंकड़े तारीख और संशोधित राशि के सहित दर्शाना चाहिए ।

5. जहां विशिष्ट स्थिर आस्तियों से संबंधित अनुदान प्राप्त किए जाते हैं और यह आस्ति के समग्र या लागत के वास्तविक समग्र मूल्य के बराबर है तो तुलन पत्र में स्थिर आस्ति का अभिहित मूल्य दर्शाया जाना चाहिए ।

6. अनुकल्पित रूप से, मूल्यह्रास होने योग्य स्थिर आस्ति के अनुरूप मिलने वाले अनुदानों को आय और व्यय लेखों में ऐसी आस्ति के उपयोगपूर्ण आस्तित्व के क्रमिक और तार्किक आधार पर आस्थगित आय के रूप में माना जाएगा, अर्थात् ऐसे अनुदान का आबंटन उस अवधि की आय और प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में किया जाएगा ।

मूल्यह्रास न होने वाली आस्ति के अनुरूप मिले अनुदान को "आरक्षित पूंजी" में जमा किया जाना चाहिए, जब तक कि इसके अनुपालन के संबंध में पूर्व निर्धारित शर्तें न हों ।

टिप्पण–साधारण

6. अवक्षयण

अवक्षयण होने वाली आस्ति की उपयोगिता अवधि के उपरांत अवक्षयण राशि लगाने के लिए अवक्षयण उपलब्ध करवाया जाएगा।

अवक्षयण, किसी आस्ति के प्रयोग, समय के व्यतिक्रम अथवा तकनीक और मार्केट चार्ज के माध्यम से अपक्षय से होने वाली मूल्यहानि या उपभोग या ह्रास का मापदंड है । इसमें आस्तियों का अपाकरण शामिल है जिसकी उपयोगिता अवधि का तथा क्षयकारी आस्तियों के निःशेषण का पता लगाया जाता है ।

इस प्रयोजन के लिए :

(क) अवक्षयण योग्य आस्ति से ऐसी आस्ति अभिप्रेत है—

(i) जिसकी एक से अधिक लेखावधि के दौरान उपयोग की संभावना हो; और

(ii) जिसकी सीमित उपयोगिता अवधि हो; और

(iii) जिसे अस्तित्व ने उत्पादन या वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्रयोग के लिए, अन्य को किराए पर देने के लिए, या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए रखा हो न कि व्यावसाय/संचालन गतिविधियों के सामान्य दौर में बिक्री के उद्देश्य के लिए ।

(ख) किसी अवक्षयण योग्य आस्ति की क्षय राशि से उसकी वास्तविक लागत, या वित्तीय विवरण में वास्तविक लागत की जगह अन्य राशि घटा अवशिष्ट मूल्य अभिप्रेत है;

(ग) उपयोगिता अवधि से अभिप्रेत है—

(i) वह अवधि जिसके दौरान अस्तित्व द्वारा अवक्षयण योग्य आस्ति का उपयोग किए जाने की संभावना है, या

(ii) अस्तित्व द्वारा आस्ति के उपयोग से उत्पाद या इसी प्रकार की अन्य यूनिट के उत्पाद की संख्या की संभावना ।

अनुसूची 9-विनिधान-निश्चित/विन्यास निधि से :

1.	सरकारी प्रतिभूति	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी कोषागार बिल शामिल हैं । इन प्रतिभूतियों की लागत/अंकित मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा । तथापि, ऐसे मूल्य और मार्केट मूल्य के बीच के अंतर को तुलनपत्र के टिप्पण में दिखाया जाएगा ।
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	अनुमोदित प्रतिभूतियों की तरह समझी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों से अन्य प्रतिभूतियों (जैसे कि न्यासी प्रतिभूतियां) को यहां सम्मिलित किया जाए ।
3.	शेयर	मद 2 में शामिल नहीं की गई कंपनियों और निगमों के शेयरों में किए गए विनिधान को यहां शामिल किया जाएगा ।
4.	डिबेन्चर्स तथा बंधपत्र	मद 2 में शामिल नहीं की गई कंपनियों और निगमों के डिबेन्चर्स में किए गए विनिधान को यहां शामिल किया जाएगा ।

5. समनुषंगी तथा/या संयुक्त उद्यम	समनुषंगी/सहयोगी कंपनियों में किए गए विनिधान को यहां शामिल किया जाएगा । किसी कंपनी को 'समनुषंगी' या संयुक्त उद्यम समझा जाएगा यदि वर्ष की शुरूआत में उस कंपनी का 25% से अधिक संग्रह निधियां कंपनी के हाथ में हों ।
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	इसमें, वाणिज्यिक मेपर, म्यूचल फंड में विनिधान (विनिर्दिष्ट किया जाए) तथा अन्य दस्तावेज जो शेयर/डिवेन्चर/बंधपत्र की प्रकृति के न हों जैसे अवशिष्ट विनिधान, यदि कोई है तो, शामिल होंगे । संपत्ति में विनिधान, यदि कोई है तो, को भी इसमें शामिल किया जा सकता है ।

टिप्पण–साधारण

1. सकल मूल्य में योग, पूर्णयोग में मूल्यह्रास तथा विनिधान के निवल मूल्य को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा । मूल्य में होने वाली कमी के मूल्यांकन और निर्धारण के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों (ऊपर 1 और 2 के अंतर्गत) को "स्थायी" तथा "चालू" श्रेणियों में विभाजित किए जाने की आवश्यकता है ।
2. (क) विनिधान "दीर्घकालिक" या "स्थायी" या "चालू" प्रकृति के हो सकते हैं ।
   (ख) "चालू विनिधान" से ऐसा विनिधान अभिप्रेत है जो तत्काल वसूल हो सके तथा जिसे विनिधान की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न रखा गया हो ।
   ऐसे विनिधानों को व्यक्तिगत विनिधान आधार पर निर्धारित कम लागत या उनकी अंकित मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए तथा कमी को प्रदर्शित किया जाना चाहिए जबकि वृद्धि की उपेक्षा करना चाहिए ।
   (ग) दीर्घकालिक विनिधान ऐसे विनिधान होते हैं जो चालू विनिधानों से अलग होते हैं तथा जिनका विनिधान पूंजीवृद्धि तथा लाभ के प्रयोजन से किया जाता है ।
   अस्थायी को छोड़कर ऐसे विनिधान लागत पर किए जाते हैं तथा जब कभी भी विनिधान के समय इनके अंकित मूल्य में गिरावट आए तो इनमें कमी की जा सकती है ।
3. निश्चित/विन्यास निधियों से किए गए विनिधान को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।
4. संपत्ति में किए गए विनिधान, यदि कोई है तो, को स्थिर आस्तियों की तरह ही लागत रहित अवक्षयण रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।
5. अस्तित्व द्वारा दीर्घकालिक तथा चालू दोनों तरह के विनिधानों में किए गए विनिधान, उसकी लागत, मूल्यह्रास तथा वहनीय मूल्य संबंधी लेखा नीतियों को प्रकटन किया जाना चाहिए ।
6. स्थायी विनिधान के संबंध में किए गए किसी प्रकार के प्रीमियम भुगतान को वयस्कता की तारीख तक समय अनुपात आधार पर अपाकरण किया जाएगा । अर्जन पर मिली छूट का अपाकरण नहीं किया जाएगा ।
7. वसूल न किए गए परिपक्व विनिधान को अलग से प्रकटन किया जाएगा ।

अनुसूची 10-विनिधान–अन्य :

1. सरकारी प्रतिभूतियां	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तथा सरकारी खजाना बिल शामिल हैं । इन प्रतिभूतियों को लागत/अंकित मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा । तथापि, ऐसे मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच के अंतर को तुलनपत्र के टिप्पण में दिखाया जाएगा ।
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	अनुमोदित प्रतिभूतियों की तरह समझी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों (जैसे कि न्यासी प्रतिभूतियां) को यहां शामिल किया जाए ।
3. शेयर	मद 2 में शामिल नहीं की गई कंपनियों तथा निगमों के शेयरों में किए गए विनिधान को यहां शामिल किया जाएगा ।
4. डिबेन्चर तथा बंधपत्र	मद 2 में शामिल नहीं की गई कंपनियों तथा निगमों के डिबेन्चर्स में किए गए विनिधान को यहां शामिल किया जाएगा ।
5. अनुशांगित तथा संयुक्त उद्यम	समानुषंगी/सहबद्ध कंपनियों में किए गए विनिधान को यहां शामिल किया जाएगा । किसी कंपनी को 'समानुषंगी' या सह उद्यम समझा जाएगा यदि प्रबंधन/संचालन निकाय के घटक पर उस कंपनी का बिना किसी वित्तीय विनिधान किए नियंत्रण होगा । किसी अस्तित्व को इस वर्गीकरण के प्रयोजन से समानुषंगी माना जाएगा यदि वर्ष की शुरूआत में उस कम्पनी की 25% निधियां कंपनी के हाथ में हों ।

6. अन्य	इसमें, व्यावसायिक पेपर, म्यूचल फंड में विनिधान (स्पष्ट किया जाए) तथा अन्य दस्तावेज जो शेयर/डिबेन्चर/बंधपत्र की प्रकृति के न हों जैसे अवशिष्ट विनिधान, यदि कोई है तो, शामिल होंगे । संपत्ति में विनिधान, यदि कोई है तो, को भी इसमें शामिल किया जा सकता है ।

टिप्पण-साधारण

1. पूर्णयोग का सकल मूल्य, पूर्णयोग में अवक्षयण तथा विनिधान के निवल मूल्य को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा । मूल्य में होने वाली कमी के मूल्यांकन और निर्धारण के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों (ऊपर 1 एवं 2 के अन्तर्गत) को "स्थायी" तथा "चालू" श्रेणियों में विभाजित किए जाने की आवश्यकता है ।

2. (क) विनिधान "दीर्घकालिक" या "स्थायी" या "चालू" प्रकृति के हो सकते हैं ।

   (ख) "चालू विनिधान" से ऐसा निवेश अभिप्रेत है जो तत्काल वसूले जा सकते हैं तथा जिसे विनिधान की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न रखा गया हो ।

   ऐसे विनिधानों को व्यक्तिगत विनिधान आधार पर निर्धारित कम लागत या उनकी अंकित मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए तथा कमी को प्रदर्शित किया जाना चाहिए जबकि वृद्धि को नजरअंदाज करना चाहिए ।

   (ग) दीर्घकालिक विनिधान ऐसे विनिधान होते हैं जो चालू विनिधानों से अलग होते हैं तथा जिनका विनिधान पूंजीवृद्धि तथा लाभ के आशय से किया जाता है ।

   अस्थायी को छोड़कर ऐसे विनिधान लागत पर किए जाते हैं तथा जब कभी भी विनिधान के समय इनके अंकित मूल्य में गिरावट आए तो इनमें कमी की जा सकती है ।

3. निश्चित/स्थिर निधियों से किए गए विनिधान को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।

4. संपत्ति में किए गए विनिधान, यदि कोई है तो, को स्थिर आस्तियों की तरह ही लागत रहित मूल्यह्रास रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।

5. अस्तित्व द्वारा दीर्घकालिक तथा चालू दोनों तरह के विनिधानों में किए गए विनिधान, उसकी लागत, मूल्यह्रास तथा वहनीय मूल्य संबंधी लेखा नीतियों का प्रकटन किया जाना चाहिए ।

6. स्थायी विनिधान के संबंध में किए गए किसी प्रकार के प्रीमियम भुगतान को व्यस्कता की तारीख तक समय अनुपात आधार पर पराकरण किया जाएगा । अर्जन पर मिली छूट का पराकरण नहीं किया जाएगा ।

7. वसूल न किए गए परिपक्व विनिधान का अलग से प्रकटन किया जाएगा ।

अनुसूची 11—चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि :

क. चालू आस्तियां

1. **सूचियां**	सूचियों में, मशीनरी के कलपुर्जों के अलावा रखरखाव आपूर्ति तथा उपभोग्य वस्तुओं सहित कारबार के साधारण अनुक्रम में बिक्री के लिए या ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में या बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं में उपभोग के लिए रखी गई प्रत्यक्ष संपत्ति शामिल होती है ।
(क) गोदाम तथा कलपुर्जे	
(ख) खुले औजार	सूचियों के मूल्यांकन के आधार का प्रकटन किया जाना चाहिए ।
(ग) व्यापार में लगी सामग्री	
- तैयार वस्तुएं	तैयार वस्तुओं में कंपनी में सभी जगहों पर खरीदे गए/तैयार किए गए तथा कंपनी के स्टॉक में पड़ी वस्तुएं शामिल होंगी ।
- प्रगतिशील कार्य	
- अपरिष्कृति सामग्री	अपरिष्कृत सामग्री में बिक्री के लिए वस्तुओं को तैयार करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त या उपभोग्य कलपुर्जे या पुर्जे शामिल होंगे ।
2. **विविध ऋणी**	ऋणी वह व्यक्ति है जिसके ऊपर बेची हुई वस्तु या सेवा या संविदाकारी दायित्व पूरा करने संबंधी राशि का भुगतान देय है ।
(क) छः महीने से अधिक अवधि से लंबित पड़े ऋण	

(ख) अन्य	वसूली के लिए वस्तुओं और संदिग्ध वस्तुओं वाले ऋणों को अलग से दर्शाया जाएगा । संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए उपबंध, यदि किए गए हैं तो, को संदिग्ध समझे जाने वाले ऋणों की राशि में से घटाकर दिखाया जाएगा ।
3. हाथ में नगद बकाया राशि (चैक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित)	
4. बैंकों में अतिशेष	निर्धारित/विन्यास निधी के रूप में बैंकों में बकाया राशियों का अलग से प्रकटन किया जाना चाहिए ।
(क) अनुसूचित बैंकों में	जहां किसी वित्तिधान खाते में सुरक्षा के रूप में शुल्क लिया जाता है या अधिभार लिया जाता है तो इस तथ्य का प्रकटन किया जाना चाहिए ।
- चालू खातों में	
- निक्षेप खातों में (मार्जिन राशि सहित)	अतिदेय/परिपक्व निक्षेपों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।
-बचत खातों में	
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	
- चालू खातों में	
- निक्षेप खातों में	
-बचत खातों में	
5. डाकघर	
-बचत खाता	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	
1. ऋण	वस्तुओं अथवा वसूले जाने वाले, समझे जाने वाले ऋण तथा अग्रिमों को दर्शाया जाना चाहिए । संदिग्ध राशि, यदि कोई है, को प्रत्येक उप-शीर्ष के अधीन बताया जाना चाहिए तथा उपबंध, यदि किए गए हैं, को उनमें से घटाकर दिखाया जाएगा ।
(क) कर्मचारिवृन्द	कर्मचारिवृन्द को दिए जाने वाले ऋण से प्राप्त ब्याज को लेखाबद्ध किया जाना चाहिए चाहे ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के भुगतान के बाद प्रारम्भ की जाएगी ।
(ख) कंपनी की क्रियाकलापों/ उद्देश्यों जैसी गति-विधियों/उद्देश्यों में लिप्त अन्य कंपनियां	कंपनियों को दिए जाने वाले अनुदान/सहायकी/दान को यहां शामिल नहीं किया जाएगा । यदि ब्याज प्राप्त होता है तो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त ब्याज की राशि को समायोजित किया जाना चाहिए ।
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
2. नकद या वस्तुरूप में या मूल्यरूप में वसूले जाने वाले अग्रिम तथा अन्य राशियां	
(क) पूंजीलेखे पर	पूंजी कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम को इस उप-शीर्ष के तहत दर्शित किया जाना चाहिए ।
(ख) पूर्व भुगतान	इसमें पूर्व में भुगतान किए गए व्यय शामिल हैं ।
(ग) अन्य	इसमें ऋणदारों के अलावा अन्य जगहों से प्राप्त राशि शामिल होगी ।
3. उद्भूत आय	वर्ष की समाप्ति तक 'प्राप्त आय और देय' तथा 'प्राप्त आय और देय नहीं' दोनों को इस शीर्ष के तहत शामिल किया जाना चाहिए ।
(क) निर्धारित/विन्यास कोष से विनिधान	
(ख) विनिधान पर-अन्य	निर्धारित/स्थायी कोष से किए गए विनिधान तथा अन्य विनिधानों से होने वाली आय को अलग से दर्शाया जाएगा ।
(ग) ऋण एवं अग्रिम पर	
(घ) अन्य (वसूली जाने वाली लंबित आय शामिल)	यदि वसूली में कोई अस्पष्टता है तो प्राप्त आय मान्य नहीं होगी और यदि मान्य है तो उपबंध किया जाएगा ।

	डिविडेन्डस को घोषणा की तारीख के आधार पर मान्यता दी जाएगी ।
	प्राप्त आय, देय किन्तु वसूल नहीं की गई आय के संबंध में अलग प्रकटन किया जाएगा ।
4. **प्राप्त होने वाले दावे :**	केवल वसूल किए जा सकने वाले दावों को ही शामिल किया जाएगा ।

अन्य और व्यय लेखे–आय

अनुसूची 12—बिक्री/सेवा से आय :

बिक्री से आय :

1. **बिक्री से आय**	बिक्री में वह पूरी राशि शामिल होगी जितने का विक्रय हुआ है । इन्हें व्यापारिक छूट, छूट और वापसी घटाकर निवल रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।
(क) तैयार वस्तुओं की बिक्री	
(ख) अपरिष्कृत सामग्री की बिक्री	बिक्री तभी पूरी होती है जब भुगतान के समय या वस्तुओं की आपूर्ति के बावजूद जोखिम तथा स्वामित्व के लाभ आदि क्रेता से विक्रेता को हस्तांतरित हो जाते हैं ।
(ग) स्क्रैप की बिक्री	निर्यात बिक्री का खुलासा अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।
2. **सेवाओं से प्राप्त आय**	आय को सकल रूप में दिखाया जाना चाहिए तथा स्रोत से काटे हुए कर को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।
(क) मजदूरी तथा प्रसंस्करण शुल्क	अन्य कंपनियों की वस्तुओं/सामग्रियों के प्रसंस्करण/फैब्रीकेशन संबंधी मजदूरी और प्रसंस्करण शुल्क आदि की वसूली को इस उप-शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए ।
(ख) वृत्तिक/परामर्शी सेवाएं	कंपनी द्वारा पेशेवर सेवाओं तथा परामर्शी सेवाओं के बदले में लिए जाने वाले शुल्क को इस उप-शीर्ष के तहत शामिल किया जाना चाहिए ।
(ग) अभिकरण कमीशन तथा दलाली	जब कंपनी बिना किसी सिद्धांत आधार के दलाल या एजेंट के रूप में अन्य के लिए वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति का प्रबंध करती है तो उससे प्राप्त कमीशन और दलाली को इस उप-शीर्ष के तहत दिखाया जा सकता है ।
(घ) रख-रखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	जब कंपनी उपकरणों या संपत्ति के रखरखाव का ठेका लेती है तो वर्ष की समाप्ति पर इस स्रोत से प्राप्त आय को इस उप-शीर्ष के तहत शामिल किया जाना चाहिए ।
(ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

अनुसूची 13—अनुदान/सहायिकी :

(प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान और सहायिकी)

(1) केन्द्रीय सरकार	बिक्री में वह पूरी राशि शामिल होगी जितने का विक्रय हुआ है । इन्हें व्यापारिक छूट, छूट एवं वापसी घटाकर निवल रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।
(2) राज्य सरकार/सरकारें	
(3) सरकारी अभिकरण	इन अनुदान आदि के उपयोग पर किसी प्रकार की शर्त नहीं होती है तथा इन्हें वापिस नहीं करना होता है तथा इन्हें आय में समायोजित किया जाता है ।
(4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय	
(5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	सकल प्राप्तियों को प्रत्येक उप-शीर्ष के सामने दर्शाया जाना चाहिए तथा इसके बदले में अन्य संस्थानों/संगठनों को अप्रत्यादेय आधार पर दिया जाने वाला अनुदान/सहायिकी को अनुसूची 22 में व्यय के रूप में रखा जाना चाहिए ।
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

अनुसूची 14—फीस/अभिदान :

(1) प्रवेश शुल्क	प्रत्येक मद की लेखानीतियों का प्रकटन किया जाना चाहिए ।
(2) वार्षिक फीस/अभिदान	प्रवेश शुल्क, अभिदान आदि जैसे पूंजी प्राप्तियों वाले फीस, संग्रह/पूंजी निधि में डाले जाने चाहिए । अन्यथा ऐसी फीसों को इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा ।

(3)	सेमिनार/कार्यक्रम फीस	
(4)	परामर्श फीस	यदि कंपनी की मुख्य गतिविधियां सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करना तथा/अथवा परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है तो ऐसी आय अनुसूची 12 का भाग होगी ।
(5)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाया जाना चाहिए । सेमिनार/कार्यशाला, परामर्श आदि पर होने वाले व्यय को अनुसूची 21 में 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।

अनुसूची 15—विनिधान से आय :

1.	ब्याज	1. विनिधान से होने वाली आय को सकल आंकड़ों में दर्शाना चाहिए तथा स्रोत पर काटे गए कर का अलग से प्रकटन किया जाना चाहिए ।
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	2. सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज में निम्नलिखित सम्मिलित होगा – (क) ब्याज की अंतिम मान्य तारीख तक कूपन रेट पर अर्जित ब्याज अर्थात् प्राप्त और देय ब्याज; तथा (ख) इसके पश्चात् वर्ष की समाप्ति तक कूपन रेट पर प्राप्त ब्याज ।
	(ख) अन्य बंधपत्र/डिबेन्चर	3. बंधपत्र और डिबेन्चर्स पर होने वाली आय में डिस्कांउट पर जारी किए गए किन्तु सममूल्य या प्रीमियम पर मोचन किए जाने वाले बंधपत्र पर उनके जारी किए जाने की शर्तों के आधार पर वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त छूट शामिल होगी ।
2.	लाभांश	4. घोषणा की तारीखों के आधार पर लाभांश उपार्जित किया जा सकता है अर्थात् जब कंपनी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार हो ।
	(क) शेयर पर	
	(ख) परस्पर निधि प्रतिभूतियों पर	
3.	किराया	5. किराया, यदि कोई है तो, को संपत्ति पर किए गए विनिधान पर आय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	6. अतिशोध्य/परिपक्व विनिधानों पर मिलने वाले ब्याज को तब तक मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब तक ऐसी मान्यता के लिए पूर्व-शर्तों से संतुष्टि न हो जाए । 7. विनिधान पर आय के संदर्भ में अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए – (क) कंपनी के स्वामित्व में, तथा (ख) निश्चित/स्थायी निधियों से प्राप्त आय 8. वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित/विन्यास निधियों के विनिधान से होने वाली आय को अनुसूची 3 के माध्यम से निधियों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए ।

अनुसूची 16—रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय :

(1)	रॉयल्टी से आय	प्रत्येक मद की लेखा नीतियों का प्रकटन किया जाना चाहिए ।
(2)	प्रकाशन से आय	यदि कंपनी की मुख्य गतिविधियां पुस्तक, पत्र दस्तावेज आदि का प्रकाशन करना है तो उससे प्राप्त आय को अनुसूची 12 में रखा जाना चाहिए ।
(3)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाया जाना चाहिए । प्रकाशन आदि पर होने वाले व्यय को अनुसूची 21 में 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।

अनुसूची 17—प्राप्त ब्याज :

1.	आवधिक जमा पर	1. ब्याज आय को सकल आंकड़ों में दिखाया जाना चाहिए तथा स्रोत पर काटे गए कर का अलग से कथन किया जाना चाहिए ।
	(क) अनुसूचित बैंकों में	
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	

(ग) संस्थाओं में	
(घ) अन्य	
2. जमा खातों पर	2. आय के संबंध में अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए ;
(क) अनुसूचित बैंकों में	(क) अस्तित्व के स्वामित्व वाली आस्तियों पर; तथा
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	(ख) निश्चित/विन्यास निधियों पर प्राप्त
(ग) संस्थानों में	
(घ) अन्य	
3. ऋणों पर	
(क) नियोक्ता/कर्मचारिवृन्द	
(ख) अन्य	
4. देनदान तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज़	

अनुसूची 18—अन्य आय :

1. आस्तियों की ब्रिकी/निपटारे पर लाभ	ब्रिक्री से आय/वसूली, आस्तियों का कुल लिखित मूल्य यदि अधिक हो, इस उप-शीर्ष के अंतर्गत आएगा ।
(क) स्वाधिकृत आस्तियां	
(ख) अनुदानों से प्राप्त मुफ्त में प्राप्त हुई आस्तियां	
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	वर्ष के अंत तक निर्यात प्रोत्साहन के दावे जो प्राप्त नहीं हुए, को आय में शामिल नहीं किया जाएगा ।
3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस	प्रकीर्ण आय में शामिल द्रव्यात्मक मदों को अलग से दर्शाया जाए ।
4. प्रकीर्ण आय	

अनुसूची 19—तैयार माल और चल रहे कार्य के स्टाक में बढ़ोत्तरी/(कमी)

(क) अन्तिम स्टाक	
-पूर्ण निर्मित वस्तुएं	स्टाक मूल्यांकन के संबंध लेखा नीतियां घोषित की जानी चाहिए ।
- कार्य प्रगति पर है ।	
(ख) घटाएं - प्रारंभिक स्टाक	
- पूर्ण निर्मित वस्तुएं	
- कार्य प्रगति पर है ।	

अनुसूची 20—स्थापना व्यय

(क) वेतन और मजदूरी	प्रत्येक शीर्ष के सामने दिया गया कुल व्यय जिसमें प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारीवृन्द पर किया गया व्यय शामिल है, दर्शाया जाए ।
(ख) भत्ते और बोनस	
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	
(घ) अन्य निधि (विनिर्दिष्ट करें) में अंशदान	व्यक्ति की संविधिक दायित्व भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि को स्पष्ट रूप से और मद-वार दर्शाया जाना चाहिए ।
(ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय	
(च) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर व्यय और टर्मिनल लाभ	जुर्माना, दण्ड इत्यादि जैसी वसूलियों के मामले में इन्हें व्यय शीर्ष से नहीं घटाया जाना चाहिए किंतु अनुसूची 18 में 'अन्य आय' के अंतर्गत शमिल किया जाना चाहिए ।
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पणी साधारण

पूर्व अवधि मदें

पूर्व अवधि और असाधारण मदों को अलग से दिखाया जाएगा ताकि वर्ष में कुल व्यय पर प्रभाव का पता चल सके ।

अनुसूची 21—अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि

(क) खरीद*
(ख) श्रम और प्रक्रियात्मक व्यय
(ग) ढुलाई और परिवहन
(घ) बिजली और ऊर्जा

प्रत्येक शीर्ष के सामने दिया गए कुल व्यय को दर्शाया जाना चाहिए । वसूलियों के मामले में अर्थात् किराया वसूली, वसूल किए गए माल प्रभार, जुर्माने, दण्ड, आपूर्तिकर्ताओं से क्षति इत्यादि ऐसी वसूलियों की राशि व्यय शीर्ष से नहीं घटायी जानी चाहिए । अपितु "अनुसूची 16- अन्य आय" के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए ।

(ङ) जल प्रभार
(च) बीमा
(छ) मरम्मत और रख-रखाव
(ज) उत्पाद शुल्क

पूर्व अवधि और असाधारण मदों को अलग से दर्शाया चाहिए ताकि वर्ष में शुद्ध व्यय पर इसका प्रभाव ज्ञात हो ।

(झ) किराया, दर और कर
(ञ) वाहन रख-रखाव
(ट) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभाग
(ठ) मुद्रण और स्टेशनरी
(ड) यात्रा और परिवहन व्यय
(ढ) सेमीनार/कार्यशालाओं पर व्यय
(ण) अंशदान व्यय
(त) फीस पर खर्च
(थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
(द) अतिथ्य व्यय
(ध) वृत्तिक प्रभार
(न) डूबे और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए उपबंध
(प) वसूल न किए जाने वाला बकाया जिसे बट्टे खाते में डाला गया
(फ) पैकिंग प्रभार
(ब) माल किराया व्यय
(भ) वितरण व्यय
(म) विज्ञापन और प्रचार
(य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

शीर्षों की सूची लम्बी नहीं है किंतु स्पष्ट है । जहां तक संभव हो केवल उन्हीं शीर्षों का प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि किसी शीर्ष को जोड़ने या हटाने के लिए कोई मजबूरी न हो ।

*खरीद को कच्चे माल और निर्माण के लिए सामग्री और कारोबार में प्रयुक्त वस्तुओं के बीच विभाजित किया जाना चाहिए । निर्माण के लिए वस्तुओं के मामले में खरीद के स्थान पर कच्चे माल की खपत और 'भंडार' लिखा जाए ।

आय और व्यय लेखा-व्यय

अनुसूची 22—अनुदान, परिदान इत्यादि पर व्यय :

(क)	संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	संस्थानों/संगठनों को सामान्य प्रयोजनों और लक्ष्यों के लिए अपरिवर्तनीय आधार पर दिए गए अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य ऐसी सहायता को इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा ।
(ख)	संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	संस्थानों/संगठनों के नाम, उनके क्रियाकलाप इसके साथ ही प्रत्येक मामले में राशियां दर्शाई जानी चाहिएं ।

ये अनुदान, प्रयोग इत्यदि शर्तों सहित या बिना शर्तों के हैं और वसूली न किए जाने वाली राशियों की प्रकृति के हैं जिन्हें व्यय के रूप में दिखाया जाना है ।

अनुसूची 13 में प्रत्येक उप-शीर्ष के सामने दर्शाई गई कुल प्राप्तियां इन अनुदानों/आर्थिक सहायता का स्रोत हो सकती थी जो अन्य संस्थानों/संगठनों को अपरिवतर्नीय आधार पर दी गई है ।

प्रत्येक शीर्ष के सामने दिया गया कुल परिव्यय का प्रकटन किया जाना चाहिए ।

अनुसूची 23—ब्याज :

(क)	सावधि ऋणों पर	1. ब्याज में प्रतिबद्ध प्रभार शामिल होंगे ।
(ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	2. सावधि ऋण वह ऋण है जो निश्चित अवधि के लिए है, जैसे सावधिक ऋण ।
(ग)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	3. अनुसूची 23 के अनुसार ब्याज के रूप में व्यय, दर्शाई गई न्यूनतम अपेक्षा है । अनुसूची 4 और 5 में दिए गए शीर्षों के अनुसार उधार और ऋणों के स्रोत पर आधारित ब्याज को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

अनुसूची 24—आकस्मिक दायित्व और लेखा-टिप्पण

(क) आकस्मिक दायित्व

1.	ऋणों के रूप में न माने गए दावे ।	.....
2.	आंशिक रूप में भुगतान किए गए विनिधानों का दायित्व	भागत: रूप से भुगतान किए गए शेयरों ऋणपत्र इत्यादि पर दायित्व के बारे में बताना अपेक्षित है।
3.	बकाया अग्रवर्ती विनिमय संविदाओं पर दायित्व	वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों पर बकाया अग्रिम विनिमय निविदाओं की राशि के बारे में बताया जाना चाहिए ।
4.	गारंटियां और बकाया जमा-पत्र	अस्तित्व द्वारा या उसके स्थान पर दी गई गारंटी की दायित्व और वर्ष के अंत पर बकाया जमा-पत्र को दर्शाया जाना अपेक्षित है ।
5.	रियायती बिल	वर्ष के अंत में बकाया किए गए बिल के बारे में बताए जाने की आवश्यकता है ।
6.	आकस्मिक देयता वाली अन्य मदें	यहां पर एक विवादास्पद सांविधिक और अन्य मांगे/दावे, पुन: छूट दिए गए बिल, नीचे लिखी संविदा के अधीन प्रतिबद्धता और अन्य मदें शामिल होंगे जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से जिम्मेवार है ।

ख. लेखों पर टिप्पण

1.	पूंजी लेखा पर प्रतिबद्धता का उपबंध नहीं किया गया ।	यह आस्तियों के अधिग्रहण/संनिर्माण के लिए धन का भुगतान किए जाने के कारण संविदा-उद्यम के रूप में उत्पन्न होंगे । राशि, शुद्ध अग्रिम दर्शाया जाना अपेक्षित है ।
2.	अन्य टिप्पण	.....

उपाबंध-च

प्राप्तियों और भुगतान की विवरणी

वित्तीय विवरणियां प्रपत्र (अलाभ संगठन)

अस्तित्व का नाम.....

.....**को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान** (राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारम्भिक अतिशेष			**1. व्यय**		
(क) नकद			(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 की तत्स्थानी)		
(ख) बैंक बकाया			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21		
(i) चालू खाते			की तत्स्थानी)		
(ii) जमा खाते					
(iii) बचत खाते					

II. प्राप्त अनुदान	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के बदले किए गए भुगतान
(क) भारत सरकार से	(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों सहित निधि का नाम या परियोजना दर्शाई जाएगी)
(ख) राज्य सरकार से	
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व के लिए अनुदान उदाहरण अलग से दर्शाया जाए)	
III. निम्न विनिधानों पर आय	III. किए गए विनिधान और जमा
(क) निर्धारित/विन्यास की गई निधियां	(क) निर्धारित/विन्यास की गई निधियों में से
(ख) अपनी निधियां (अन्य विनिधान)	(ख) अपनी निधियों में से (विनिधान-अन्य)
IV. प्राप्त ब्याज :	IV. स्थिर आस्तियों पर व्यय और चालू काम पूंजी
(क) बैंक जमाओं पर	(क) स्थिर आस्तियों की खरीद
(ख) ऋण, अग्रिम इत्यादि	(ख) चालू काम पूंजी पर व्यय
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	V. अतिदेय धन/ऋणों की वसूली
	(क) भारत सरकार को
	(ख) राज्य सरकार को
	(ग) धन देने वाले अन्य व्यक्तियों को
VI. उधार ली गई राशि	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)
VII. कोई और प्राप्ति (विवरण दें)	VII. अन्य भुगतान (विशेष उल्लेख करें)
	VIII. अंतिम अधिशेष
	(क) हाथ में नकदी
	(ख) बैंक अधिशेष
	(i) चालू खातों में
	(ii) जमा खातों में
	(iii) बचत खातों में
कुल	कुल

[फा.सं. 15011/20/2006-एच.आर.-III]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 7 अक्तूबर, 2006 में संख्या सा.का.नि. 454(अ) के द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 2006 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2009

G.S.R. 199 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India hereby, makes the following rules to amend the National Human Rights Commission (Annual Statement of Accounts) Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Human Rights Commission (Annual Statement of Accounts) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Human Rights Commission (Annual Statement of Accounts) Rules, 1996 (hereinafter referred to as the said rules) in the preamble, after the words "the Central Government", the words "in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India" shall be inserted;

3. In the said rules, in rule 3,—

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely —

"(4) The accounts of the Commission shall be maintained in the common format of accounts specified for the Central Autonomous Bodies in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance, Comptroller General of accounts, *vide* O.M. No. F. No. 10(1)/Misc./2005/TA/450-490, dated the 23rd July, 2006";

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted , namely :—

"(5) The annual statement of accounts showing the details of receipt and payment accounts, income and expenditure accounts and the balance sheet along with necessary Schedules, notes on accounts and significant accounting policies shall be signed on behalf of the Commission by the Senior Accounts Officers and authenticated by the Joint Secretary in the Commission.";

4. In the said rules, for Form-A appended at the end, the following Form shall be substituted, namely ;—

"Form

[See sub-rule (4) of rule 3]

National Human Rights Commission

Common Format of Accounts

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE CENTRAL AUTONOMOUS BODIES

(NON-PROFIT ORGANISATIONS AND SIMILAR INSTITUTIONS)

ANNEXURE–A

BALANCE SHEET

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity_____

BALANCE SHEET AS AT_____

(Amount–Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	....	....
Reserves and Surplus	2	....	....
Earmarked/Endowment Funds	3	....	....
Secured Loans and Borrowings	4	....	....
Unsecured Loans and Borrowings	5	....	....
Deferred Credit Liabilities	6	....	....
Current Liabilities and Provisions	7	....	....
Total		....	....

Assets			
Fixed Asets	8	....	....
Investments—From Earmarked/Endowment Funds	9		....
Investments—Others	10		....
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	....	....
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		....	....
Total		....	....
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

ANNEXURE–B

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity

Income And Expenditure Account for the Period/Year Ended

(Amount–Rs.)

INCOME	**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
Income from Sales/Services	12		
Grants/Subsidies	13		
Fees/Subscriptions	14		
Income from Investments (Income on invest. from earmarked/ endow. Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		
Other Income	18		
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19		
Total (A)		....	....
Expenditure			
Establishment Expenses	20	....	....
Other Admininstrative Expenses etc.	21	....	....
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	....	....
Interest	23		
Depreciation (Net Total at the year-end—corresponding to Schedule 8)			
Total (B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A–B)			
Transfer to Special Reserve (Specify each)		....	
Transfer to /from General Reserve		....	
Balance Being Surplus/(Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

SCHEDULES **ANNEXURE C**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity——————————————

Schedules Forming Part of Balance Sheet As At——————

SCHEDULE 1—CORPUS/CAPITAL FUND :

(Amount–Rs.)

	Current Year		Previous Year	
Balance as at the beginning of the year	....	....	.....	....
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund	....		....	
Add : (Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	....	....	——	...
Balance As at the Year—End		....		....

SCHEDULE 2—RESERVES AND SURPLUS :

	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	....		....	
Addition during the year	....		....	
Less : Deductions during the year	(....)	....	(....)	....
2. Revaluation Reserve :				
As per last Account	....		....	
Addition during the year	....		....	
Less : Deductions during the year	(....)	....	(....)	....
3. Special Reserves :				
As per last Account	....		....	
Addition during the year	....		....	
Less : Deductions during the year	(....)	....	(....)	....
4. General Reserve :				
As per last Account	....		....	
Addition during the year	....		....	
Less : Deductions during the year	(....)	....	(....)	....
Total		....		....

SCHEDULE 3—EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount–Rs.)

	Fund-Wise Break up				**Totals**	
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(a) Opening balance of the funds	...	...	...	...	...	...
(b) Additions to the Funds :						
(i) Donations/grants	...	...	...	...	...	...
(ii) Income from Investments made on account of funds	...	...	...	...	...	...
(iii) Other additions (specify nature)	... ...	... ...	...	... ...	... ...	... ...
TOTAL (a+b)	...	...	...	...	...	...
(c) Utilisation/Expendinture towards objectives of funds :						
(i) **Capital Expenditure**						
- Fixed Assets	...	...	...	...	...	...
- Others	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	... ...

(ii) Revenue Expenditure							
- Salaries, wages and allowances etc.	...	...	...	...	...	...	...
- Rent	...	...	...	...	...	...	
- Other Administrative expenses	...	...	...	...	...	...	
Total							
TOTAL(c)		...	...	...	...	...	...
Net Balance as at the Year-end (a+b–c)		...	...	...	...	...	...

Notes :

(1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

(2) Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

SCHEDULE 4—SECURED LOANS AND BORROWINGS :

(Amount–Rs.)

		Current Year		Previous Year	
1.	Central Government		...		...
2.	State Government (Specify)		...		...
3.	Financial Institutions				
	(a) Term Loans	...		...	
	(b) Interest accrued and due	...	...	...	...
4.	Banks :				
	(a) Term Loans	...	...	...	
	- Interest accured and due	...		...	
	(b) Other Loans (specify)	...			
	- Interest accrued and due	...	...		...
5.	Other Institutions and Agencies		...		...
6.	Debentures and Bonds		...		...
7.	Others (Specify)		...		...
	Total		...		...

Note : Amounts due within one year.

SCHEDULE 5—UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
1.	Central Government	...	...
2.	State Government (Specify)	...	...
3.	Financial Institutions	...	...
4.	Banks :		
	(a) Term Loans	...	...
	(b) Other Loans (specify)	...	...
5.	Other Institutions and Agencies	...	...
6.	Debentures and Bonds	...	...
7.	Fixed Deposits	...	...
8.	Others (Specify)	...	...
	Total	...	...

Note : Amounts due within one year.

SCHEDULE 6—DEFERRED CREDIT LIABILITIES :

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
(a)	Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	...	...
(b)	Others	...	...
	Total	...	...

Note : Amounts due within one year.

SCHEDULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
A. Current Liabilities			
1.	Acceptances	...	...
2.	Sundry Creditors :		
	(a) For Goods	...	...
	(b) Others	...	...
3.	Advances Received	...	...
4.	Interest accrued but not due on :		
	(a) Secured Loans/borrowings	...	...
	(b) Unsecured Loans/borrowings	...	...
5.	Statutory Liabilities :		
	(a) Overdue	...	...
	(b) Others	...	...
6.	Other Current Liabilities	...	...
	Total (A)	...	...
B. Provisions			
1.	For Taxation	...	...
2.	Gratuity	...	...
3.	Superannuation/Pension	...	...
4.	Accumulated Leave Encashment	...	...
5.	Trade Warranties/Claims	...	...
6.	Others (Specify)	...	...
	Total (B)	...	...
	Total (A+B)	...	...

SCHEDULE 8—FIXED ASSETS

(Amount–Rs.)

Description :	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Cost/valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
A. Fixed Assets :										
1. Land										
(a) Freehold	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
(b) Leasehold	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
2. Buildings :										
(a) On Freehold Land	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
(b) On Leasehold Land	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
(c) Ownership Flates/Premises	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
3. Plant Machinery & Equipment	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
4. Vehicles	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
5. Furniture, Fixtures	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
6. Office Equipment	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
7. Computer/Peripherals	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
8. Electric installations	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
9. Library Books	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
10. Tubewells & W. supply	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
11. Other fixed assets	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
Total of Current Year	...	...	(...)	...	...	...	...	...	...	...
Previous Year	...	...	(...)	...	...	...	...	...		
B. Capital Work-in-progress									...	...
Total									...	...

(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

SCHEDULE 9—Investments from Earmarked/Endowment Funds

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
1.	In Government Securities	...	...
2.	Other approved Securities	...	...
3.	Shares	...	...
4.	Debentures and Bonds	...	...
5.	Subsidiaries and Joint Ventures	...	...
6.	Others (to be specified)	...	...
	Total	...	...

SCHEDULE 10—Investments—Others

1.	In Government Securities	...	...
2.	Other approved Securities	...	...
3.	Shares	...	...
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures	...	...
6.	Others (to be specified)	...	...
	Total	...	...

SCHEDULE 11—Current Assets, Loans, Advances etc.

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
A. Current Assets :			
1.	Inventories :		
	(a) Stores and Spares	...	...
	(b) Loose Tools	...	...
	(c) Stock-in-trade		
	Finished Goods	...	...
	Work-in-progress	...	...
	Raw Materials	...	...
2.	Sundry Debtors :		
	(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	...	...
	(b) Others	...	...
3.	Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)	...	...

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
4.	Bank Balances :		
	(a) With Scheduled Banks :	...	...
	- On Current Accounts	...	...
	- On Deposit Accounts (includes margin money)	...	...
	- On Savings Accounts	...	...
	(b) With non-Scheduled Banks :	...	...
	- On Current Accounts	...	...
	- On Deposit Accounts	...	...
	- On Savings Accounts	...	...
5.	Post Office-Savings Accounts	...	...
	Total (A)	...	...
B. Loans, Advances and other Assets			
1.	Loans :		
	(a) Staff	...	...
	(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	...	...
	(c) Other (specify)	...	...
2.	Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :	...	...
	(a) On Capital Account	...	...
	(b) Prepayments	...	...
	(c) Others	...	...
3.	Income Accrued :	...	...
	(a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	...	...
	(b) On Investments—Others	...	...
	(c) On Loans and Advances	...	...
	(d) Others	...	...
	(includes income due unrealised—Rs.....)	...	...
4.	Claims Receivable	...	...
	Total (B)	...	...
	Total (A+B)	...	...

SCHEDULE 12—INCOME FROM SALES/SERVICES :

(Amount–Rs.)

		Current Year	Previous Year
(1) Income from Sales			
(a)	Sale of Finished Goods	...	...
(b)	Sale of Raw Material	...	...
(c)	Sale of Scraps	...	...
(2) Income from Services			
(a)	Labour and Processing Charges	...	...
(b)	Professional/Consultancy Services	...	...
(c)	Agency Commission and Brokerage	...	...
(d)	Maintenance Services (Equipment/Property)	...	...
(e)	Others (Specify)	...	...
	Total	...	...

SCHEDULE 13—GRANTS/SUBSIDIES

(Amount–Rs.)

	Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Government	...	...
2. State Government (s)	...	...
3. Government Agencies	...	...
4. Institutions/Welfare Bodies	...	...
5. International Organisations	...	...
6. Others (Specify)	...	...
Total	...	...

SCHEDULE 14—FEES/SUBSCRIPTIONS

(Amount–Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees	...	...
2. Annual Fees/Subscriptions	...	...
3. Seminar/Program Fees	...	...
4. Consultancy Fees	...	...
5. Others (Specify)	...	...
Total	...	...

Note—Accounting Policies towards each item are to be disclosed

SCHEDULE 15—INCOME FROM INVESTMENTS

	Investment from Earmarked Fund		Investment-Others	
(Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Interest				
(a) On Govt. Securities	...	...	...	...
(b) Other Bonds/Debentures				
2. Dividends :	...	...	...	...
(a) On Shares	...	...	...	...
(b) On Mutual Fund Securities	...	...	...	...
3. Rents	...	...	...	...
4. Others (Specify)	...	...	...	...
Total	...	...	...	...
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	...	...		

SCHEDULE 16—INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Royalty	...	...
2. Income from Publications	...	...
3. Others (specify)	...	...
Total	...	...

SCHEDULE 17—INTEREST EARNED

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits :		
(a) With Scheduled Banks	...	...
(b) With Non- Scheduled Banks	...	...
(c) With Institutions	...	...
(d) Others	...	...
2. On Savings Accounts :		
(a) With Scheduled Banks	...	...
(b) With Non- Scheduled Banks	...	...
(c) Post Office Savings Accounts	...	...
(d) Others	...	...
3. On Loans :		
(a) Employees/Staff	...	...
(b) Others	...	...
4. Interest on Debtors and Other Receivables	...	...
Total	...	...

Note—Tax deducted at source to be indicated.

SCHEDULE 18—OTHER INCOME

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sale/disposal of Assets :		
(a) Owned assets	...	...
(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Export Incentives realized	...	...
3. Fees for Miscellaneous Services	...	...
4. Miscellaneous Income	...	...
Total	...	...

SCHEDULE 19—INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORKS IN PROGRESS

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Closing stock		
—Finished Goods	...	...
—Work-in-progress	...	...
(b) Less : Opening Stock		
—Finished Goods	(...)	(...)
—Work-in-progress	(...)	(...)
Net Increase/(Decrease) [a-b]	...	...

SCHEDULE 20—ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Salaries and Wages	...	...
(b) Allowances and Bonus	...	...
(c) Contribution to Provident Fund	...	...
(d) Contribution to Other Fund (specify)	...	...
(e) Staff Welfare Expenses	...	...
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	...	...
(g) Others (specify)	...	...
Total	...	...

SCHEDULE 21—OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Purchases		
(b) Labour and processing expenses	...	...
(c) Cartage and Carriage Inwards	...	...
(d) Electricity and power	...	...
(e) Water charges	...	...
(f) Insurance	...	...
(g) Repairs and maintenance	...	...
(h) Excise Duty	...	...
(i) Rent, Rates and Taxes	...	...
(j) Vehicles Running and Maintenance	...	...
(k) Postage, Telephone and Communication Charges	...	...
(l) Printing and Stationary	...	...
(m) Travelling and Conveyance Expenses	...	...
(n) Expenses on Seminar/Workshops	...	...
(o) Subscription Expenses	...	...
(p) Expenses on Fees	...	...
(q) Auditors Remuneration	...	...
(r) Hospitality Expenses	...	...
(s) Professional Charges	...	...
(t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	...	...
(u) Irrecoverable Balances Written-off	...	...
(v) Packing Charges	...	...
(w) Freight and Forwarding Expenses	...	...
(x) Distribution Expenses	...	...
(y) Advertisement and Publicity	...	...
(z) Others (specify)	...	...
Total	...	...

SCHEDULE 22—EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Grants given to Institutions/Organisations	...	...
(b) Subsidies given to Institutions/Organisations	...	...
Total	...	...

Note—Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE 23—INTEREST

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) On Fixed Loans		
(b) On Other Loans (including Bank Charges)	...	...
(c) Others (specify)	...	...
Total	...	...

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)

Name of Entity ——————————————

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ——————

SCHEDULE 24—SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. **ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. **INVENTORY VALUATION**

2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.

2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. **INVESTMENTS**

3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. **EXCISE DUTY**

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year end.

5. **FIXED ASSETS**

5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. **DEPRECIATION**

6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amotized over the residual life of the respective assets.

6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

6.3 Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

7. **MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. **ACCOUNTING FOR SALES**

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

9. **GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES**

9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

10. **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. **LEASE**

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. **RETIREMENT BENEFITS**

12.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE 25-CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts—Rs. ..... (Previous year Rs. .....).

1.2 In respect of :

— Bank guarantees given by/on behalf of the Entity —Rs. ..... (Previous year Rs. .....).

— Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity —Rs. ..... (Previous year Rs.....).

— Bills discounted with banks Rs. ..... (Previous year Rs. .....).

1.3 Disputed demands in respect of :

Income-tax Rs. ..... (Previous year Rs. .....).

Sales-tax Rs. ..... (Previous year Rs. .....).

Municipal Taxes ..... (Previous year Rs. .....).

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity—Rs. .....(Previous year Rs.....)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. .....(Previous year Rs. .....).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. ..... (Previous year Rs. .....).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis :

— Purchase of finished Goods

— Raw Materials & Components (Including in transit)

— Capital Goods

— Stores, Spares and Consumables.

6.2 Expenditure in foreign currency :

(a) Travel

(b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency

(c) Other expenditure :

— Commission on Sales

— Legal and Professional Expenses

— Miscellaneous Expenses

6.3 Earnings :

Value of Exports on FOB basis.

6.4 Remuneration to auditors :

As Auditors

— Taxation matters

— For Management services

— For certification

Others

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at ..... and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

ANNEXURE—D

INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS AND OTHER SIMILAR INSTITUTIONS

INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES

(1) The financial statements of non-profit and other similar organisations (Viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) shall be prepared on accrual basis; and shall be in the form suggested, or as near thereto as possible.

If the information required to be given under any of the items or sub-items in this Form cannot be conveniently included in the Balance Sheet or the Income and Expenditure Account itself, as the case may be, it can be furnished in a separate Schedule or Schedules to be annexed to and forming part of the Balance Sheet or the Income and Expenditure account. This is recommended where item are numerous.

(2) A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall be included in the financial statements, and the significant accounting policies should be disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the Entity in the preparation of the financial Statements. Where any of the accounting policies is not in conformity with accounting standards, and the effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure shall be disclosed, together with the reasons therefor and the financial effect thereof, except where such effect is not ascertainable.

(3) Accounting policies shall be applied consistenly from one financial year to the next. Any change in the accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in latter periods, shall be disclosed. In case of a change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements is effected by such change, shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be disclosed.

(4) The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form.

(5) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.

(6) Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information).

'provision' means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

Provision shall be made for contingent loss if :

(a) It is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred at the balance sheet date, and

(b) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.

If either of the above conditions is not met, the existence of the contingent loss shall be disclosed by way of a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote.

(7) Where any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount which is considered reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not as a provision.

(8) Revenue shall not be recognised unless :

(a) the related performance has been achieved;

(b) no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration; and

(c) it is not unreasonable to expect realisation and ultimate collection.

(9) Separate disclosure shall be made in the Income and Expenditure Account in respect of :

(a) "Prior period" items, which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

(b) "Extra-ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

(c) Any item under the head "Miscellaneous Income" which exceeds 1 per cent of the total turnover/gross income of the entity or Rs. 50,000/-, whichever is higher. This shall be shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

(d) Any item under the head "Miscellaneous Expenses" which exceeds 1 per cent of the total turnover/gross income of entity or Rs. 50,000/- whichever is higher. This shall be shown as a separate and distinct item against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

(10) The Schedules referred to in the form, the accounting policies and explanatory notes shall form an integral part of the financial statements.

(11) Notes to the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall contain the explanatory material pertaining to the items in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account.

(12) The figures in the Balance Sheet and Income and Expenditure Account, if rounded off, shall be rounded off as below :

Amount of turnover (in Rs.)	Rounding off to (Rs.)
Less than One lakh	Hundred
One lakh or more but less than one crore	Thousand
One crore or more but less than one hundred crore	Lakh
One hundred or more but less than one thousand crore	Crore

(13) Reference may also be made to the enclosed Notes and Instructions for compilation in relation to in the formats suggested.

ANNEXURE-E

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR THE SCHEDULES
NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF NON PROFIT ORGANISATIONS AND OTHER SIMILAR INSTITUTIONS

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 1—CORPUS/CAPITAL FUND

(a) Corpus/Capital Fund is akin to Capital, Share Capital or Owner's Funds. It comprises amounts recieved by way of contributions specifically to the Corpus, as increased/decreased by the net operating results shown in the Income and Expenditure Account (other than surplus, if any, transferred to any Reserves or Earmarked Funds).

(b) The Opening Balance, Additions to, Deduction from and the Closing Balance of the Corpus/Capital Fund shall be shown under this head.

(c) Additions to the Corpus Fund shall be net of transfers, if any, to any Reserve or Earmarked Fund required under statute or as per applicable regulations.

SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS

1. CAPITAL RESERVES : ● Opening balance ● Additions during the year ● Deductions during the year	The expression 'capital reserves' shall not include any amount regarded as free for distribution through the Income and Expenditure Account. Surplus on revaluation should be treated as Capital Reserves and shown separately. Surplus on translation of financial statements of foreign branches, if any, is not a revaluation reserve.
2. REVALUATION RESERVE : ● Opening balance ● Additions during the year ● Deductions during the year	To reflect effects of changing prices, fixed assets otherwise stated at historical costs, are revalued and the historical cost substituted by a revaluation, normally done by competent valuers. Such substitution resulting in an upward revaluation is required to be shown as a "Revaluation Reserve". This reserve is an unrealised gain and should not be credited as income in the Income and Expenditure Account.
3. SPECIAL RESERVES (S) ● Opening balance ● Additions during the year ● Deductions during the year	These would comprise Special reserves requires to be created pursuant to any statutory or regulatory requirement applicable to the entity ; and if so, should be clarified in the Notes on Accounts in Schedule 27.
4. GENERAL RESERVE ● Opening balance ● Additions during the year ● Deductions during the year	The expression 'General Reserve' shall mean any reserve other than capital reserve and revaluation reserve. This item will include all reserves, other than those separately classified.

Notes-General

(a) Movements in various categories of reserves should be shown as indicated in the schedule.

(b) The expression 'reserve' shall not include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability.

SCHEDULE 3—EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amounts received as grants or assistance, or retained by the entity to be utilised for specific or earmarked purposes and remaining to be expended/utilised for the specific purpose for which these are intended, are required to be disclosed under this head. Such funds may be received in cash or kind from Government, Government agencies, institutions and other agencies etc. and are subject to compliance by the entity, of certain stipulated terms and conditions. For this reason, the balances available and their utilisation should be disclosed in the manner suggested in the Schedule. The Plan Funds recieved from the Central and/or State Governments are to be shown as distinct category of Fund.

Other plan funds earmarked/endowed for any chair, house, building, trust etc. are to be shown as distinct category of Fund.

The following shall not be reckoned as part of Earmarked Funds :

(a) Grants/funds which have the characteristics of promoters contribution which are of the nature of additions/accretion to the Corpus Fund;

(b) Funds/grants received by the Entity as compensation for expenditure/losses incurred in the earlier years, as these would be reckoned only in the Income and Expenditure Account for the year.

(c) Non-monetary grants by way of capital assets or other resources, corresponding credit of which is of the nature of capital reserve, unless such grants are specified as irrevocable contribution to the Corpus.

Notes-General

(a) It is appropriate to ensure that the accretions to and utilisation of earmarked funds is in accordance with the terms and conditions attaching to the same.

(b) Earmarked Funds, considering their nature, are represented by specifically earmarked investments or other assets.

(c) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

(d) Records relating to fixed assets acquired/constructed should be maintained for each earmarked fund. However, for the purpose of the annual financial statements disclosure may be made of the aggregate accumulated cost up to each year and of such fixed assets in respect of each fund, unless the assets are taken over and are incorporated in Schedule 8.

SCHEDULE 4-SECURED LOANS AND BORROWINGS

1. Central Government 2. State Government	Indicate the nature of security and terms of repayment. Indicate the name of State Government and nature of security and terms of repayment.
3. Financial Institutions	Includes borrowings/refinance obtained from Industrial Development Bank of India, Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development (including liability against participation certificates, if any). Normally these may be in the form of Term Loans.
4. Banks	Includes borrowings/refinance obtained from commercial banks (including Cooperative Banks).
(a) Term Loans	Term Loans need to be segregated from other facilities.
(b) Other Loans	
5. Other institutions and agencies	Includes institutions/agencies other than those mentioned above.
6. Debentures and Bonds	The terms of redemption of debentures and bonds should be stated with the earliest date of their redemption.

Notes-General

(a) Information shall be given in each case as regards the nature of security given.

(b) Secured Loans and borrowings shall be such as are against hypothecation/pledge/charge on the assets of the entity.

(c) The Aggregate amount of loans under each head, as are guaranteed by the Central/State Government may also be mentioned along with the fact that these are so guaranteed.

(d) Loans and borrowings include refinance from Institutions and agencies and liability against participation certificates.

(e) Amounts received by way of discount of debtors or receivables or rediscount of bills, shall not be shown as borrowings.

(f) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of 'Current Liabilities'.

(g) Unreconciled Inter-branch outstanding entries at credit should not be shown as borrowings.

(h) Amounts due within a period of less than 12 months as at the Balance Sheet date need to be disclosed.

SCHEDULE 5-UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

1. Central Government	Indicate the terms of repayment.
2. State Government(s)	Indicate name of the State Government and the terms of repayment.
3. Financial Institutions	Includes borrowings obtained from Industrial Bank of India, Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development. Normally these may be in the form of term Loans. Pending creation of a charge on assets, bridge loans may be given as 'unsecured Loans'.
4. Banks	Includes borrowings obtained from Commercial Banks (including Cooperative Banks). Indicate the nature of facilities. Overdrawn balances as per books do not constitute loans and generally arise due to cheques issued in excess of book balances. Such balances can be shown as loans only where the Entity enjoys or is granted overdraft facility.
5. Other Institutions and Agencies	Includes loans from Institutions/Agencies other than those mentioned above.
6. Debentures and Bonds	The terms of redemption of Debentures and Bonds should be stated with the earliest date of their redemption.
7. Fixed Deposits	These comprise deposits received from Public or otherwise for fixed periods and against no security.

Notes-General

(a) Unsecured Loans and borrowings comprise amounts in respect of which no assets of the entity is charged as security or encumbered.

(b) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of 'Current Liabilities'.

(c) Amounts due within a period of less than 12 months as at the Balance Sheet date need to be disclosed.

SCHEDULE 6—DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(1) Acceptances and other similar long-term obligations contracted in respect of acquisition of assets, the liability for payment of which falls in periods longer than 12 months as at the date of the Balance Sheet should be included here.

(2) If the assets are charged as security or encumbered corresponding to the liability, this fact should be stated.

(3) If the acceptances are also guaranteed for repayment by the Government, any Govt. Agency, Bank, Institution or other body/entity, this fact should also be stated.

(4) Amounts due with one year of the date of the Balance Sheet need to be separately disclosed.

SCHEDULE 7-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

A. CURRENT LIABILITIES

1. Acceptances	Included under this sub-head would be the drawer's assent on bills of exchange to the order of the drawer.
2. Sundry Creditors (a) For Goods (b) Others	The amounts to be shown against this sub-head shall comprise amounts owed by the entity in favour of others on account of goods purchased or services rendered or in respect of contractual obligations. These need to be segregated for goods and shown separately.
3. Advances Received	The liability against this sub-head shall comprise amounts received in respect of which goods or services have yet to be supplied/rendered or for which value has yet to be given, and includes advance subscriptions.
4. Interest accrued but not due (a) Secured Loans/ Borrowings (b) Unsecured Loans/ Borrowings	Includes interest accrued up to the year-end but not due on secured/unsecured loans and borrowings.
5. Statutory Liabilities (a) Overdue (b) Others	These comprise liabilities in terms of the Central/State laws governing the Entity; and includes unpaid liability for tax deducted at source under the Income Tax Act. 1961, statutory bonus, provident fund, pension, gratuity, ESI, interest to SSI Units on their overdue, sales tax, excise, customs duty, and other statutory levies. Overdue liabilities are undisputed amounts which are due and remain unpaid beyond the normal due date/stipulated period i.e. those are in default.
6. Other Current Liabilities	These would include amounts not covered by the other sub-heads. Any material amount included under this sub-head may be separately shown indicating the nature thereof. Overdrawn bank balances as per books, where the entity does not have any sanctioned limits/overdraft facilities, shall also be included under this sub-head, or separately disclosed as "Overdrawn bank balances in excess of book balances."

Notes—General

A Current Liability is one which falls due for payment within a relatively short period, normally not more than 12 months.

SCHEDULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :

B. PROVISIONS

1. For Taxation	Provision needs to be made and retained based on the status of Tax matters as at the year-end.
2. Gratuity	Provision for liability towards gratuity payable on death/retirement of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided upto the year-end.
3. Superannuation/Pension	Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided upto the year-end.
4. Accumulated Leave	Provision for liability towards accumulated leave encashment of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided upto the year-end.
5. Trade Warranties/Claims	Where the entity is manufacturing/processing goods for sale, it may be liable to trade warranty risks, which need to be provided for on a reasonable/rational basis.
6. Others	These need to be specified and shall not include provision for doubtful debts/ advances, which shall be reduced from the relevant asset heads.

Notes-General :

Provision is an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in the value of assets, or retained by way of providing for a known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

ASSETS

SCHEDULE 8—FIXED ASSETS :

1. Land	
(a) Freehold	Where immovable properties are purchased/acquired by paying a composite cost, a reasonable/reliable estimate should be made of the land cost and shown separately.
(b) Leasehold	Leasehold land should be amortised over the period of lease unless the lease is in perpetuity.
2. Buildings	
(a) On freehold land	As far as practicable, distinction may be made between factory and office buildings for purposes of provision for depreciation at different rates.
(b) On leasehold land	Buildings/premises shall be those which are intended to be wholly/partly used for the purposes of the activities of the Entity and would not include "Investment Properties".
(c) Ownership Flats/Premises	Superstructures on leasehold lands should be depreciated to be co-terminus with the amortisation of land, unless the superstructures have a shorter life.
(d) Superstructures on Land not belonging to the Entity	Buildings shall include roads, bridges and culverts
3. Plant, Machinery & Equipment	Included under this Sub-head would be items like : —Earth moving Machinery —Boilers —Furnaces —Generators —Dyes/Mould —Machinery used for specific industry/services like Building contractors, in hospitals/clinics, processing units, hydraulic works (including pipelines), tool rooms. —Other items used for manufacture/processing etc. Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.

4. Vehicles	Included under this sub-head would be items like : —Tractors/Trailers —Trucks, Jeeps and Vans —Motor Cars —Motor Cycles, Scooters, Three Wheelers and Mopeds —Rickshaws Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.
5. Furniture, Fixtures	Included under the above sub-head would be items like : (a) Cabinets/Almirahs/Filing Racks (b) Air-conditioners/Air conditioning Plant (c) Air Coolers (d) Water Coolers (e) Tables/Chairs/Sofas/Carpets (f) Wooden partitions/temporary structures (g) Voltage Stabilisers, UPS Systems (h) Other Items Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
6. Office Enquipment	Included under the above sub-head would be items like : (a) Typewriters (b) Photocopies/duplicators (c) Fax Machines Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
7. Computer/Peripherals	Computers, Printers and their peripherals like the Floppies, CDs, Software etc. would the items under this head. Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
8. Electric Installations	Included under the above sub-head would be items like : (a) Electrical Machinery (b) Electric Lights/Fans (c) Switch gear instruments (d) Transformers (e) Electric Wiring and fittings Separate Account heads should be maintained in respect of the above items and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
9. Library Books	In some cases the number of Library Books could be very large or there may be an established Library. In such cases these books may be disclosed as a separate category of assets. Library books will include books/journals/information stored in CD ROMs.

10.	Tubewells & Water Supply System	Tubewells and Water Supply Systems may be shown as a distinct category.
11.	Capital Work-in-Progress	Fixed assets in the course of construction should be shown against this head till they are ready for their intended use. Plant, machinery and equipment acquired and pending installation should also be included here.

Notes—General

1. Fixed Assets are those assets which are held with the intention of being used for the purpose of producing or providing services and not held for sale in the normal course of trade.
2. Under each sub-head should be shown :
   (a) the cost or the valuation as at the begining of the year.
   (b) additions during the year (both acquisitions and by way of grants).
   (c) deductions (including sales, disposals, write-offs) during the year.
   (d) the total cost/valuation as at the year-end.
   (e) depreciation upto the previous year-end, that on additions/deductions during the year and the total accumulated depreciation upto the year-end.
   (f) the net block of the assets as at the year-end.
3. The accounting policy relating to accounting for fixed assets acquired (including by way of grants or at consessional rates), or constructed should be disclosed along with the method adopted for depreciation/ amortisation.
4. Where sums have been written up for any assets due to their revaluation, the basis thereof should be disclosed; and every balance sheet after the first Balance Sheet subsequent to the revaluation should show the revised figures for a period of five years with the date and amount of revision.
5. Where grants relating to specific fixed assets are received and these are equal to the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the fixed assets should be shown in the Balance Sheet at a nominal value.

   Alternatively, grants relatable to depreciable fixed assets may be treated as deferred income and recognised in the Income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants should be allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation is charged.

   Grants relatable to non-depreciable assets should be credited to "Capital Reserve", unless there are pre-conditions requiring fulfillment.
6. **Depreciation**

   Depreciation shall be provided so as to charge the depreciable amount of a depreciable asset over its useful life.

   Depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable asset arising from use, effluxion of time or obsolescence through technology and market charges. It includes amortisation of assets the useful life of which is determined and depletion of wasting assets.

   For this purpose :

   (a) depreciable asset means an asset which—
      (i) is expected to be used during more than one accounting period, and
      (ii) has a limited useful life; and
      (iii) is held by the entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purposes and not for the purpose of sale in the ordinary course of its business/operating activities.

   (b) depreciable amount of a depreciable asset means its original cost, or other amount substituted for original cost in the financial statements less the residual value;

   (c) useful life means either—
      (i) the period over which a depreciable asset is expected to be used by the Entity, or
      (ii) the number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the Entity.

SCHEDULE 9—INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS:

1. Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills These securities should be shown at cost/book value. However, the difference be tween such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2. Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3. Shares	Investments in shares of companies and corportations not included in item 2 should be included here.
4. Debentures and Bonds	Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.
5. Subsidiaries and/or joint ventures	Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a 'subsidiary' or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment therein. An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.
6. Others (to be specified)	Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investment in Properties, if any, would also be included here.

Notes—General

1. The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities [covered by 1 and 2 above] are required to be bifurcated into "permanent" and "current" categories for valuation and determination of shortfall in value.

2. (a) Investments can either be "Long term" or "permanent" or "Current".

   (b) "Current Investment" means an investment which is by its very nature, readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made.

   Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.

   (c) Long term investments are those investments which are other than current investments, and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield.

   Such Investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.

3. Investments held against earmarked/endowment funds need to be separately disclosed.

4. Investment in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.

5. The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value-both for long term and current investments.

6. Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortised.

7. Matured investments, not realised may be separately disclosed.

1170 GI/09—7

SCHEDULE 10—INVESTMENT—OTHERS :

1. Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2. Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3. Shares	Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 should be included here.
4. Debentures and Bonds	Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.
5. Subsidiaries and joint ventures	Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a 'subsidiary' or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment therein. An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.
6. Others	Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investment in Properties, if any, would also be included here.

Notes—General

1. The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities [covered by 1 and 2 above] are required to be bifurcated into "permanent" and "current" categories for valuation and determination of shortfall in value.

2. (a) Investments can either be "Long term" or "permanent" or "Current".

   (b) "Current Investment" means an investment which is by is very nature, readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made.

   Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.

   (c) Long term investments are those which are other than current investments and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield.

   Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.

3. Investments held against earmarked/endowment funds are disclosed in Schedule 9.

4. Investment in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.

5. The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value—both for long term and current investments.

6. Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortised.

7. Matured investments, not realised may be separately disclosed.

SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC :

A. CURRENT ASSETS :

1. **Inventories :** (a) Stores and Spares (b) Loose Tools (c) Stock-in-trade	Inventories comprise tangible property held for sale in the ordinary course of business, or in the process of production for such sales, or for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumables other than machinery parts. Basis of valuation of inventories should be disclosed
-Finished Goods -Work-in-progress -Raw Materials	Finished goods would include goods purchased/produced and lying in hand at all locations of the entity. Raw materials would also include parts or components used or consumed in the process of production of goods for sale.
2. **Sundry Debtors :** (a) Debts outstanding for a period exceeding six months	Debtors comprise persons from whom amounts are due for goods sold or services rendered or in respect of contractual obligations.
(b) Others	Debts considered good for recovery and those considered doubtful shall be shown separately. Provision for doubtful debts, if made, should be shown as a reduction from the amount of debts considered doubtful.
3. **Cash Balances in hand :** (including cheques/drafts and imprest)	
4. **Bank Balances :**	Amounts held as bank balances against earmarked/endowment funds should be separately disclosed.
(a) **With Scheduled Banks** -On Current Accounts -On Deposit Accounts	Where any deposit accounts are pledged or charged as security or are encumbered, the fact should be disclosed. Overdue/Matured Deposits should be separately disclosed.
(includes margin money) -On Savings Accounts	
(b) **With Non-Scheduled Banks** -On Current Accounts -On Deposit Accounts -On Savings Accounts	
5. **Post Office-Savings Accounts :**	

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS :

1. **LOANS :**	Loans and Advances as are considered good and recoverable should be disclosed. Doubtful amounts, if any, should be stated under each sub-head and provision, if made, should be shown as a reduction therefrom.
(a) Staff	Interest accrued on interest bearing staff loans should be accounted notwithstanding that actual recoveries of interest might commence after repayment of principal.
(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	Irrevocable grants/subsidies/donation to such entities shall not be included here. If interest-bearing, the amount of interest earned up to the year-end should be adjusted.
(c) Other (specify)	

2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :	
(a) On Capital Account	Advances to suppliers/contractors for capital works should be shown against this sub-head.
(b) Pre-payments	This includes prepaid expenses.
(c) Others	This would comprise receivables other than the debtors.
3. Income Accrued :	
(a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	Both 'Income accrued and due' and 'Income accrued but not due' up to the year-end should be included under this head.
(b) On Investments—Others	Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds and that on Other Investment should be shown separately.
(c) On Loans and Advances	
(d) Others (includes income due unrealised-Rs.)	If uncertainty attaches to realisation or ultimate collection, income should not be recognised, and if recognised, should be provided for.
	Dividends should be recognised based on the date(s) of their declaration.
	Separate disclosure should be made in respect of income accrued, due but not realized.
4. Claims Receivable :	Only claims, which are considered good and realisable, should be included.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT—INCOME

SCHEDULE 12—INCOME FROM SALES/SERVICES

INCOME FROM SALES :

(1) Income from Sales	Sales comprise the aggregate amount for which sales are effected. These would be shown net of trade discounts, rebate and returns.
(a) Sale of Finished Goods (b) Sale of Raw Material (c) Sale of Scraps	Sales are complete when significant risks and rewards of ownership get transferred from the seller to the buyer, irrespective of the time of payment or delivery of the goods.
	Disclosure of export sales should be made separately.
(2) Income from Services	Income must be shown at gross figures and Tax Deducted at Source should be indicated separately.
(a) Labour and Processing Charges	Labour and processing charges realisable for processing/fabrication of goods/ materials of other entities should be disclosed against this sub-head.
(b) Professional/Consultancy Services	Consultancy charges and fee for rendition of professional services by the entity should be included under this sub-head.
(c) Agency Commission and Brokerage	Where the Entity acts as a broker or agent for arranging supply of goods/ services of others, i.e. without acting on a principal to principal basis, the commission and brokerage income earned would be shown against this sub-head.
(d) Maintenance Services (Equipment/Property)	Where the Entity undertakes maintenance contracts for equipment or property etc. the income earned up to the year-end from this source should be included under this sub-head.
(e) Others (Specify)	

SCHEDULE 13—GRANTS/SUBSIDIES :

Irrevocable grants & Subsidies Received)

(1) Central Government
(2) State Government(s)
(3) Government Agencies
(4) Institutions/Welfare Bodies
(5) International Organisations
(6) Others (Specify)

Grants, Subsidies or other similar assistance received for the general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, or to cover expenditure incurred in prior periods. shall be included in this Schedule.

These grants etc. are without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated to income.

The gross receipts shall be shown against each sub-head, and grants/ subsidies which ate given in turn to other institutions/organisations on irrevocable basis; as expenditure should be considered in Schedule 22.

SCHEDULE 14—FEES/SUBSCRIPTIONS :

(1) Entrance Fees
(2) Annual Fees/Subscriptions
(3) Seminar Program Fees
(4) Consultancy Fees
(5) Others (Specify)

Accounting policies on each item will have to be disclosed.

In case the Fees like Entrance Fee, Subscriptions etc. are in the nature of capital receipts, such amount, should go to the Corpus/Capital Fund. Otherwise Such fees will be incorporated in this schedule.

In case the major activities of the Entity are to organise seminar/workshop and/or provide consultancy services, such income should form part of the Schedule 12.

The gross receipts should be shown here. Expenditure incurred on seminar/ workshops, consultancy etc. should be shown as 'other administrative expenses' in the schedule 21.

SCHEDULE 15—INCOME FROM INVESTMENTS :

1. Interest

(a) On Govt. Securities

(b) other Bonds/Debentures

2. Dividends

(a) Shares
(b) on Mutual Fund Securities

3. Rents

4. Others (specify)

1. Income from Investments shall be disclosed at gross figures and tax deducted at source is to be stated separately:

2. Interest on Govt. securities shall comprise

(a) interest earned at coupon rate upto the last applicable date of interest, i.e. interest accrued & due; and

(b) interest accrued thereafter upto the year-end at the coupon rate.

3. Income on bonds and debentures would include discount accrued upto the year-end on bonds issued at a discount, to be redeemed at par or on premium, based on the terms of their issue.

4. Dividends shall be accrued, based on the dates of declaration thereof i.e. when the entity has a right to receive the same.

5. Rents shall be shown as income on Investment on properties, if any.

6. Interest claimed on overdue/matured investments shall not be recognised unless pre-conditions for such recognition are satisfied.

7. Distinction should be made in respect of income on Investments :

(a) Owned by the Entity; and

(b) those held against earmarked/endowment funds

8. At the year-end total of the income on investment from earmarked/ endowment funds should be transferred to the Funds through Schedule 3.

SCHEDULE 16—INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. :

(1) Income from Royalty	Accounting policies on each item will have to be disclosed.
(2) Income from Publications	In case the major activities of the Entity are to publish books, journals, documents etc., such income should form part of the Schedule 12.
(3) Others (Specify)	The gross receipts should be shown here. Expenditure incurred on publication etc., should be shown as 'other administrative expenses' in the schedule 21.

SCHEDULE 17—INTEREST EARNED :

1. On Term Deposits:	1. Interest income earned should be shown at gross figures and tax deducted at source is to be stated separately.
(a) With Scheduled Banks	
(b) With Non-Scheduled Banks	
(c) With Institutions	
(d) Others	
2. On Savings Accounts :	2. Distinction should be made in respect of income
(a) With Scheduled Bank	(a) on assets owned by the Entity;and
(b) With Non-Scheduled Bank	(b) those held against earmarked/endowment funds;
(c) Post Office Savings Accounts	
(d) Others	
3. On Loans.:	
(a) Employees/Staff	
(b) Others	
4. Interest on Debtors & Other Receivables	

SCHEDULE 18—OTHER INCOME

1. Profit on Sale/disposal of Assets	Sales proceeds/realisation, net of the book value of the assets shall, if a surplus, be included under this sub-head.
(a) Owned assets	
(b) Assets acquired out of grants or received free of cost	
2. Export Incentives realised	Export incentives claimed and not realised upto the year-end shall not be included in Income.
3. Fees for Miscellaneous Services	Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.
4. Miscellaneous Income	

SCHEDULE 19—INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK-IN-PROGRESS :

(a) Closing stock	Accounting policies regarding valuation of stock should be declared.
- Finished Goods	
- Work-in-progress	
(b) Less : Opening Stock	
- Finished Goods	
- Work-in-progress	

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT EXPENDITURE

SCHEDULE 20—ESTABLISHMENT EXPENSES :

(a) Salaries and Wages	The gross expenditure against each head including in respect of staff on deputation should be disclosed.
(b) Allowances and Bonus	
(c) Contribution to Provident Fund	
(d) Contribution to Other Fund (specify)	Statutory obligations of the Entity towards provident fund, Employees' state insurance, retirement benefits etc. should be disclosed clearly and item-wise.
(e) Staff Welfare Expenses	
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	In case of recoveries like fines, penalties etc. the same should not be deducted from the expense heads but included under 'Other Income' in the Schedule 18.
(g) Others (specify)	

Notes-General

Prior period items

Prior period and Extraordinary Items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net Expenditure for the year is known.

SCHEDULE 21—OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC. :

(a) Purchases*
(b) Labour and processing expenses
(c) Cartage and Carriage Inwards
(d) Electricity and power
(e) Water charges
(f) Insurance
(g) Repairs and maintenance
(h) Excise Duty
(i) Rent, Rates and Taxes
(j) Vehicles Running and maintenance
(k) Postage, Telephone and Communication Charges
(l) Printing and Stationary
(m) Travelling and Conveyance Expenses
(n) Expenses on Seminar/Workshops
(o) Subscription Expenses
(p) Expenses on Fees
(q) Auditors Remuneration
(r) Hospitality Expenses
(s) Professional Charges
(t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances
(u) Irrecoverable balances Written-off
(v) Packing Charges
(w) Freight and Forwarding Expenses
(x) Distribution Expenses
(y) Advertisement and Publicity
(z) Others (specify).

The gross expenditure against each head should be disclosed.

In case of recoveries e.g. rent recoveries, freight charges recovered, fines, penalties, damages from suppliers etc., the amount of such recoveries should not be deducted from the expense heads but included under Schedule 16 "Other Income".

Prior period and Extraordinary Items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net Expenditure for the year is known.

The list of heads is not exhaustive but illustrative. As far as possible only these heads of accounts should be used unless there is compelling reasons to add or delete any of these heads.

*Purchases should be segregated between Raw Materials and Stores for manufacture and for Finished Goods traded in. In case of manufacturing entities, 'Consumption of Raw Materials' and 'Stores' may be given instead of 'Purchases'.

SCHEDULE 22—EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.:

(a) Grants given to Institutions/Organisations

(b) Subsidies given to Institutions/Organisations

Grants, Subsidies or other similar assistance given to the Institutions Organisations for general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, shall be included in this Schedule.

Name of the Institutions/Organisations, their activities along with the amounts in each case should be disclosed.

These grants etc. are with or without any conditions attached as to their utilisation and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated as expenditure.

The gross receipts shown against each sub-head in the schedule 13, could be the sources of these grants/subsidies that are given, in turn, to other institutions/organisations on irrevocable basis.

The gross expenditure against each head should be disclosed.

SCHEDULE 23—INTEREST:

(a) On Fixed Loans	1. Interest would include commitment charges.
(b) On Other Loans (including Bank Charges)	2. Fixed Loans are loans which are for fixed period, like Term Loans.
(c) Others (specify)	3. Expenditure by way of Interest as per Schedule 23 is the minimum disclosure requirement. The Entity should be encouraged to disclose interest expended based on the sources of loans and borrowings as per the heads in Schedules 4 and 5.

SCHEDULE 25—CONTINGENT LIABILITIESAND NOTES ON ACCOUNTS:

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. Claims against the Entity not acknowledged as debts	----------
2. Liability for partly-paid investments	Liability on partly paid shares, debentures etc, is required to be stated.
3. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	Amount of outstanding forward exchange contracts at the exchange rates applicable as at the year-end should be stated.
4. Guarantees and Letters of credit outstanding	Liability towards Guarantees given by the entity or on its behalf and Letter of Credits outstanding as at the year-end are required to be disclosed.
5. Bills discounted	Bills discounted outstanding as at the year-end need to be disclosed.
6. Other items for which the entity is contingently liable	Included here would be disputed statutory and other demands/claims, Bills rediscounted, commitments under under-writing contracts and other items for which the entity is contingently liable.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Commitments on capital Account not provided for	This would arise in terms of contracts/arrangements in terms of which amounts would have to be paid for acquisition/construction of assets. The amounts, net of advances is required to be disclosed.
2. Other Notes	----------

ANNEXURE-F

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity.....

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED.....

(Amount Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
1	2	3	4	5	6
I. Opening Balances			**1. Expenses**		
(a) Cash in hand	....	....	(a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	....	....
(b) Bank Balances	....	....	(b) Administrative Expenses (Corresponding to schedule 21)	....	....
(i) In current accounts	....	....			
(ii) In deposit accounts	....	....			
(iii) Savings accounts					
II. Grants Received			**II. Payments made against funds for various projects**		
(a) From Government of India	....	....	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	....	....
(b) From State Government	....	....			
(c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp. To be shown separately)	....	....			

1	2	3	4	5	6
III. Income on Investments from			**III. Investments and deposits made**		
			(a) Out of Earmarked/Endowment funds	....	....
(a) Earmarked/Endow. funds	....	....	(b) Out of Own Funds (Investments-Others)	....	....
(b) Own Funds (Oth. Investments	....	....			
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
(a) On Bank Deposits	....	....			
(b) Loans, Advances etc.	....	....	(a) Purchase of Fixed Assets	....	....
			(b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	....	....
V. Other Income (Specify)	....	....	**V. Refund of surplus money/Loans**		
			(a) To the Government of India	....	....
			(b) To the State Government	....	....
			(c) To other providers of funds	....	....
VI. Amount Borrowed	....	....	**VI. Finance Charges (Interest)**	....	....
VII. Any other receipts (give details)	....	....	**VII. Other Payments (Specify)**	....	....
			VIII. Closing Balances		
			(a) Cash in hand	....	....
			(b) Bank Balances	....	....
			(i) In current accounts	....	....
			(ii) In deposit accounts	....	....
			(iii) Savings accounts	....	....
TOTAL	....	....	**TOTAL**	....	...."

[No. F. 15011/20/2006-HR-III]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 7th October, 1996 vide number G.S.R. 454 (E), dated the 7th October, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.